हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

05.09.2024/1100/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या : 1632

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र से पोस्टपोंड है। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आपने कितने संस्थान खोले और इस प्रश्न में तो हमने सिर्फ 15 जनवरी, 2024 तक का ब्यौरा मांगा है। तो ऐसे कितने संस्थान खोल दिए जिसकी सूचना एकत्रित हो रही है? आपने हमारी पिछली सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को तो यह कह कर बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया कि बजट नहीं है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, बजट का प्रावधान नहीं था, पोस्टें किएट नहीं थीं, पद खाली थे परंतु आपने हजारों संस्थान डिनोटिफाई करने के बाद अनेक संस्थान खोले। यदि सरकार को सूचना एकत्रित करने में समय लग रहा है तो मैं बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस कार्यकाल के दौरान जल शक्ति विभाग का डिविज़न हरोली, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में खोला। उसके अलावा इन्होंने नदौन में पी.डब्ल्यू.डी.का डिविज़न खोला, सब डिविज़न बिझड़ी में खोला। हरोली में पी.डब्ल्यू.डी.का डिविज़न खोला और जब से पिछले उप-चुनाव हुए हैं तब से तो मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान देहरा में ही चला गया है। तब से तो हर कैबिनेट में देहरा में संस्थान पर संस्थान खुल रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप हमीरपुर से हैं। हमीरपुर में तो जनता ने आपको दो सीटें हराकर घर से बेघर कर दिया, अब आप देहरा में जा कर (***)बन गए। हमें एम्ज़ की चौकी दोबारा नोटिफाई करवाने के लिए एक साल लग गया और देहरा में चुनावी आचार संहिता लगने के बावजूद पुलिस का जिला खोला गया, एस.पी. ऑफिस खोला गया। कहां बजट का प्रावधान था, कहां बजट में नोटिफिकेशन थी और कहां पोस्टें सेंक्शन थीं? आपने देहरा में पी.डब्ल्यू.डी. का डिविज़न खोला, जल शक्ति विभाग का, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज़, इनको बोलने दें।

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

05.09.2024/1100/केएस/डीसी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ़ हो रही है। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इन संस्थानों के विरोध में नहीं हूं। ये संस्थान खोलने चाहिए परंतु जो श्री नैना देवीजी चुनाव क्षेत्र के लिए कोठीपुरा में जल शक्ति डिविज़न खुला था, उसको तो आपने डिनोटिफाई कर दिया, उसको तो आपने बंद कर दिया और उसके बाद जल शक्ति विभाग के 6 डिविजन्ज़ खोल दिए। उनके लिए बजट कहां से आया, उनके लिए कहां से पोस्टें आईं? यह मेरा प्रश्न है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र का सर्कल बंद कर दिया। आपने जो इंस्टीट्यूट बंद किए उनके लिए तो आपने बजट और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रोया। लेकिन ये जो संस्थान खुल रहे हैं, इनके लिए पैसा कहां से आया?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.09.2024/1105/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 1632---------- क्रमागत

श्री रणधीर शर्मा----------जारी

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर इनके अलावा भी संस्थान खोले गए हैं तो उनकी सूचना भी दें। अगर आज नहीं है तो यह बताएं कि कब दी जाएगी क्योंकि यह कोई लम्बा प्रश्न नहीं है। अभी इस सत्र के दो दिन शेष रहते हैं तो उसमें दे दें ताकि इस बारे में चर्चा हो जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नये संस्थान खोलने की बजाय जो पुराने डीनोटिफाई हुए हैं, उनको खोलने हेतु प्राथमिकता दी जाए।

05.09.2024/1105/av/dc/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन का ऐसा असर हुआ कि माननीय सदस्य ने सवाल भी पूछा और उसका उत्तर भी खुद ही दे दिया। हमने जो संस्थान खोले हैं, हम चाहते हैं कि उनकी पूरी सूचना एकत्रित करके आपको दी जाए। आपने सिर्फ जल शक्ति विभाग की सूचना दी है जबकि जहां तक मुझे याद है हमने अभी देहरा में नीड बेस्ड एस0ई0(विद्युत) का ऑफिस

भी खोला है। इसके अतिरिक्त मैंने वहां पर बी0एम0ओ0 ऑफिस भी अनाउंस किया है। ...(व्यवधान) मेहरबान होना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान) आप लोग बीच में मत बोलिए, मुझे जो याद है मैं आपको उस बारे में बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त पालमपुर और ज्वालामुखी में बी0डी0ओ0 ऑफिस खोले। कांगड़ा के जिन-जिन विधान सभा क्षेत्रों की पिछले पांच वर्षों के दौरान उपेक्षा हो रही थी हमने वहां पर ऑफिसिज खोलकर उनकी अनदेखी को दूर किया है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी संस्थान बजट के साथ खुलते हैं। सचिवालय की फाइल बजट में जाने के बाद प्लानिंग में जाती है। हम पूरे बजट, प्लानिंग और समझदारी के साथ ऑफिसिज खोलेंगे। हम ऐसे नहीं खोलेंगे कि चुनाव के नज़दीक आते ही कार्यालय खोल दिए गए। उसके लिए नोटिफिकेशन्ज कर दी गईं और उनमें न कोई सरकारी कर्मचारी आया। ...(व्यवधान) हम ऐसे ऑफिस खोलेंगे जिनमें जनता की समस्याओं का समाधान हो सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथी बोलते समय थोड़े डैरोगेट्री वड्र्ज यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पूरे प्रदेश के भाई भी हैं और जंवाई भी हैं। ...(व्यवधान) अभी मुझे बोलने दीजिए। **आप बोलते समय अपनी भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखें। मैं यह फिर से कहना चाहता हूं कि जहां पर भी नीड बेस्ड होगा, हम प्रदेश की हर विधान सभा क्षेत्र में ऑफिस खोलेंगे।** उनके लिए बजट का प्रावधान करके उनमें पोस्ट्स भी क्रिएट करेंगे। उनमें पहले कर्मचारी लगाएंगे और साथ में उस ऑफिस की नोटिफिकेशन भी करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले कोई भी ऑफिस खोलना राजनैतिक लाभ के लिए होता है। हम यहां सेवा लाभ के लिए आए हैं, राजनैतिक लाभ के लिए नहीं आए हैं। हमारी सरकार चुनाव के दौरान ऐसा काम नहीं करेगी, हम हर जगह खोलेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर आपका भी नीड बेस्ड होगा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री रणधीर शर्मा टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1110/टी0सी0वी0/एच0के0-1
प्रश्न संख्याः 1632.... क्रमागत्

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन संस्थानों के नाम मेरे और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लिए गए हैं, क्या इनको मंजूरी मिल चुकी है? जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो आप कह रहे हैं कि इस पर बजट सैशन में बोलेंगे, बजट में

लाएंगे, इसका क्या मतलब है? आपको हैरानी होगी कि इसकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी हो गई है। मुख्य मंत्री जी शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, उप मुख्य मंत्री जी तो उद्घाटन भी कर आए हैं। इसलिए यह कहकर कि पहले बजट का प्रावधान होगा फिर सूचना दी जाएगी, सदन को गुमराह न करें। आपने सिर्फ लोकसभा और विधान सभा चुनाव को देखकर ये संस्थान खोले, कोई भी संस्थान नीड बेस्ड नहीं खोला गया है और न ही जनता की समस्याओं का ध्यान रखा गया। जो संस्थान पिछली सरकार के समय में खोले गए थे चाहे स्वारघाट का डिग्री कॉलेज या कोठीपुरा का जलशक्ति डिवीजन था उन सभी को बंद किया गया और भाजपा सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में संस्थान बंद करके अब कांग्रेस पार्टी के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में संस्थान खोल रहे हैं, यह आपकी संकीर्ण मानसिकता है। यह आपकी प्रदेशव्यापी मानसिकता नहीं है। ...(व्यवधान) ... मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि बजट से पहले जो पुराने संस्थान डी-नोटिफाई किए गए हैं उनको फिर से नोटिफाई करेंगे और नये संस्थान बाद में खोलेंगे?

05.09.2024/1110/टी0सी0वी0/एच0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप कितने दयालु है, सूचना क्या पूछी जाती है और माननीय कंफ्यूज्ड सदस्य क्या बोलते हैं? ये जो बातें बोल रहे हैं यह अपने विधान सभा में लोगों को बताने के लिए तो ठीक है लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? हमने यह कहा है कि हम नीड बेस पर संस्थानों को खोलेंगे लेकिन उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया जाएगा। वहां पर जितने पदों की आवश्यकता होगी उनको कैबिनेट में अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद इन संस्थानों को खोला जाएगा। हमारी सरकार की तो प्रथा ही यह है लेकिन इनको इस व्यवस्था परिवर्तन की तकलीफ होनी तो निश्चित है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनके विधान सभा क्षेत्र में या अन्य किसी विधान सभा क्षेत्र में इन संस्थानों को खोलने की आवश्यकता होगी तो वहां पर नीड बेस पर इन संस्थानों को खोला जाएगा, वहां पदों को भरने की स्वीकृति और इनके लिए बजट का भी प्रावधान किया जाएगा। हमने कई संस्थान खोले हैं और उनकी सूचना आनी शेष है, अभी मैं उनका जवाब कैसे दे दूं? ये सारे

संस्थान नीड बेस खोले जाएंगे और अगर सिराज में 17वां हेलिपैड बनाने की जरूरत होगी तो वह भी बनाएंगे। आप इनके बारे में चिंता न करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जब भी किसी प्रश्न का उत्तर या चर्चा का उत्तर देने के उठते हैं तो 'कंफ्यूज्ड' शब्द का बार-बार इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज तक के सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड आदमी इस माननीय सदन में यदि कोई है तो आप ही है। हर आदमी की एक गरिमा होती है, हर आदमी का एक सम्मान होता है। माननीय सदस्य इस सदन में जिम्मेवारी के साथ कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी जिम्मेवारी के साथ देना चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान खोले थे और जिनको डी-नोटिफाई कर दिया गया था, व्यवस्था परिवर्तन के मुताबिक आपने उन्हीं स्थानों पर फिर से संस्थान खोल दिए हैं। हमने पालमपुर में बी0डी0ओ0 का दफ्तर खोला था, आपने उसको बंद कर दिया था लेकिन बाद में उसको खोलने की घोषणा कर दी। इसी प्रकार से हमीरपुर जिला में चाहे वह आपका ही विधान सभा क्षेत्र है वहां पर भी हमने आई0पी0एच0 का डिवीजन खोला था उसको भी बंद कर दिया क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से मुख्य मंत्री जी अपना डिवीजन खोलना चाहते थे।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

05-09-2024/1115/एन0एस0-एच0के0/1

प्रश्न संख्या : 1632 ----क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर -----जारी

क्या उसमें काम में कोई अंतर होना था जो हमने डिवीजन खोला था? नीड बेस्ड क्या होता है? क्या उसमें एक्सिअन की जगह कोई एस0ई0 बैठना था या कोई और अधिकारी बैठना था? वहां पर एक्सिअन ही बैठना था। वहां पर क्या काम होने थे? वही काम वहां पर होने थे जिसके लिए हमने डिवीजन खोला था। मेरे विधान क्षेत्र में एस0ई0, लोक निमार्ण विभाग का दफ्तर बंद कर दिया। मेरे विधान क्षेत्र में एस0ई0, जल शक्ति विभाग का दफ्तर बंद कर दिया। बालीचौकी में जल शक्ति विभाग का डिवीजन बंद कर दिया। मेरे क्षेत्र में आपने सब कुछ बंद कर दिया। आज इनके छुटभैया नेता कह रहे हैं कि सुक्खु भाई जी को ले आएंगे

और डिवीजन व सर्किल खोल देंगे। वहां पर 6-8 महीनों से चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात छोड़िए, ये तो पूरे प्रदेश भर की बात है। आपने 1000 संस्थान बंद कर दिए। आप हंस रहे हैं और यह बहुत गंभीर विषय है। क्या ये संस्थान नीड बेस्ड नहीं थे जहां जन प्रतिनिधियों से लोगों ने जनसभा में मांग की? जहां 25 पंचायतों ने रेजोल्यूशन दिया कि बी0डी0ओ0 का दफ्तर खुलना चाहिए, क्या ये आवश्यक नहीं थे? आपने राजनैतिक मकसद और राजनैतिक लक्ष्य के साथ चले हुए संस्थानों को बंद करने का काम किया है तो क्या आप इन सब विषयों को रिव्यू करेंगे और जो नीड बेस्ड संस्थान हैं, क्या उनको पुनः खोला जाएगा? आज पूरे प्रदेश में आपने अराजकता फैला दी। सब लोग बोल रहे हैं कि सुक्खु जी आए लेकिन हमारा कॉलेज, स्कूल बच गया है लेकिन पता नहीं सुक्खु जी की कब नजर पड़ेगी? आपने इस तरह की दहशत फैला दी है। आप मुख्य मंत्री हैं और वर्तमान में प्रदेश और संस्थान को चलाना आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जो बंद किए हुए संस्थान हैं उनको पुनः चलाएंगे। प्रदेश में 1000 संस्थान बंद कर दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीड बेस्ड संस्थानों की डेफिनिशन क्लीयर कीजिए। जो संस्थान नीड बेस्ड में आते हैं तो क्या उनको दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे? क्या नए सिरे से बजट प्रावधान करने के साथ संस्थान खोलेंगे? दूसरा, जो आपने संस्थान खोले उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आपने भी कहा कि इतने स्कूल खोले जाएंगे और इतने डिवीजन्ज खोले जाएंगे। क्या उनमें बजट प्रावधान थे जो आप हमें बोल रहे हैं कि हमने बजट में प्रावधान नहीं किया? मुख्य मंत्री जी, आप इन सारी बातों को स्पष्ट कीजिए। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं और हमें इस बात का दुःख है।

05-09-2024/1115/एन0एस0-एच0के0/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप थोड़ा स्पष्ट करें कि ये सदन में रोना रो रहे थे कि कुछ बोल रहे थे। मुझे इनका सवाल ही समझ नहीं आया कि मुझसे पूछ क्या रहे थे? अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री रहे हैं। हमने तो सब संस्थान बंद कर दिए लेकिन इनका दिल खुला रखा है और अपना दिल भी खुला रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज बात यह है कि माननीय जय राम ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एस0ई0 डिवीजन था। आपने बिजली की सब्सिडी सबको दे दी और प्रदेश का खजाना खाली कर दिया।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1120/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः1632... जारी

मुख्य मंत्री... जारी

आपने प्रदेश के खजाने को लूटा दिया था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां नीडबेस्ड होगा, नीडबेस्ड पोलिटिकल, नीडबेस्ड डेमोग्राफिकल और नीडबेस्ड पोपूलेशन होगा, वहां हम संस्थान खोलने का विचार करेंगे। हम संस्थान खोलने से पहले इनकी स्वीकृति कैबिनेट से लेंगे। आपके समय में संस्थान खोलने व पदों को भरने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल ही नहीं ली गई। आपने हर दिन 400 या 600 संस्थान खोल दिए थे। ...(व्यवधान) आप हमें बोलने दें। ...(व्यवधान) आपकी फाइनेंस से कोई cuncurrence नहीं हुई थी। ...(व्यवधान) आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ? **आपने मुझे कभी संस्थान खोलने के बारे में नहीं कहा। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर राजनीतिक आधार पर फैसला करूंगा।**

05.09.2024/1120/RKS/YK-2

प्रश्न संख्याः 2058

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि जिला ऊना में गैर-मौरूसी अधिनियम-1972 के तहत कुल कितने इंतकाल हुए हैं और कितने लंबित हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रदेश में 70,000 इंतकाल इस अधिनियम के तहत हुए हैं। लेकिन अभी भी काफी गैर-मौरूसी इंतकाल पेंडिंग पड़े हैं। जो माइनर, विडोज या आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं उनके इंतकाल होना अभी लंबित हैं। जो माइनर हैं वे अब अडल्ट हो चुके हैं लेकिन जिला ऊना में फिर भी 21,384 इंतकाल पेंडिंग हैं। लोगों को कागजों में तो हक मिल गया है लेकिन उन्हें गैर-मौरूसी का हक नहीं मिला है। इस भूमि के ऊपर न तो वे लोन ले सकते हैं और न ही घर बना सकते हैं। अगर मैं अपनी चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो अम्ब में कुल 331 गैर-मौरूसी मामलों में 216 मालिक बन गए हैं और 115 अभी मालिक नहीं बने हैं। इसी तरह अन्दौरा में कुल 284 गैर-

मौरूसी मामलों में 196 मालिक बन गए हैं और 88 अभी मालिक नहीं बने हैं; कटौहड कलां में कुल 473 गैर- मौरूसी मामलों में 258 मालिक बन गए हैं और 215 अभी मालिक नहीं बने हैं; लडौली में कुल 455 गैर-मौरूसी मामलों में 249 मालिक बन गए हैं और 206 अभी मालिक नहीं बने हैं। कुठियाड़ी पंचायत में कुल 257 गैर-मौरूसी मामलों में 150 मालिक बन गए हैं और 107 अभी मालिक नहीं बने हैं; कुठेडा में कुल 206 गैर-मौरूसी मामलों में 120 मालिक बन गए हैं और 86 अभी मालिक नहीं बने हैं, मुवारिकपुर में कुल 252 गैर- मौरूसी मामलों में 235 मालिक बन गए हैं और 17 अभी मालिक नहीं बने हैं। अगर देखा जाए तो मेरे विधान सभा में काफी मामले पेंडिंग हैं। कानून बन गया है लेकिन लोगों को अभी भी तहसील में जाकर इंतकाल करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो इंतकाल पेंडिंग हैं उन्हें जल्द-से-जल्द क्लीयर किया जाए ताकि लोगों को बार-बार पटवार सर्किल के चक्कर न काटना पड़े।

राजस्व मंत्री श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1125/बी.एस./वाई के-1

प्रश्न संख्याः 2058 क्रमांगत...

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चाह रहे हैं, **अगर जिन केसिज में लैड रिफोर्म के तहत फैसला हो गया, अगर इंतकाल नहीं हुए हैं तो इन्हें एक मुहिम चला करके हम जल्द-से-जल्द डाइम बॉड करेंगे।**

प्रश्न संख्याः 2059

श्री लोकेन्दर कुमार : उपस्थित नहीं।

05.09.2024/1125/बी.एस./वाई के-2

प्रश्न संख्याः 2060

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो डवलपमेंट प्लान एक्सपायर हुआ है, यह कब तक बना दिया जाएगा? दूसरा, क्या वैलीव्यू प्रोविजन्स हैं ये आपने कहा है कि फोर लेन स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर ही एप्लिकेवल है। क्या ये जो टाउनशिप डवलप हुई, जो छोटे टाउनस हैं वहां पर भी एप्लीकेवल होगा? तीसरा, मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग में बहुत लंबे समय से बहुत से मैप्स लंबित पड़े हैं। लोगों को तीन-तीन साल मकान बनाए हुए हो गए परंतु उनके नियमितीकरण न होने की वजह से उनके बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। क्या इनके नियमितीकरण के लिए तेजी लाई जाएगी?

05.09.2024/1125/बी.एस./वाई के-3

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर कुल 34 डवलपमेंट प्लान नोटिफाई किए गए थे जिनमें से 11 डवलमेंटल प्लान एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि इन्हें 20 वर्ष के लिए बनाया जाता है। वर्ष 2021 तक इनकी अप्रूवल थी इनमें जिला बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, पालमपुर, सोलन, नाहम, मण्डी, कसौली, रामपुर, चम्बा और डलहौजी हैं। इनमें से जो अमृत जो केन्द्र सरकार की स्कीम थी उसके तहत कुछ पैसा हमें मिला था और इसके अधीन हमारे जो आठ प्लानिंग एरियाज थे इनमें डवलवमेंटल प्लान बनाने का काम जारी है। जिसमें मण्डी, सोलन, पालमपुर, चम्बा बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और नाहन हैं और रामपुर, डलहौजी और कसौली शेष बच गए हैं और ये अंडर प्रोसेस हैं और जो हमारे इन्टर्नल रिसोर्सिज हैं उसके अधीन इन्हें भी किया जाएगा। लेकिन जहां डवलपमेंटल प्लान एक्सपायर भी हो चुका है वहां पर भी टी.सी.पी. की रेगुलेशन एनफोर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके एक्सपायर होने से उसमें कोई छूट मिलती है और दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने मैप्स पेंडिंग की बात की है। हम इन्हें एक्सिपीडाइट करेंगे। मैप्स पेंडिंग के कई कारण हैं कुछ मैप्स हमारी गाइडलाइन्ज हैं उनके अनुरूप नहीं बने होते हैं। तो उनको रिवाइज करने के लिए कहा जाता है। कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम होती हैं। इसके लिए Appellate Authority प्रधान सचिव, टी.सी.पी. हैं। इसमें हम यह विचार कर रहे हैं कि जो Appellate Authority और नीचे जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर ए.टी.पी.ओ. को Appellate Authority बनाया जाए। अगर उसी

लेवल पर कोई शिकायतें हैं तो हम District Town Planner को Appellate Authority बनाया जाए। उसके लेवल पर कोई शिकायत है तो डायरेक्टर टी.सी.पी को भी Appellate Authority बनाया जाए। इस तरह से तीन स्टेप्स पर इसे बना करके स्ट्रीम लाइन बना करके लोगों को कोई दिक्कत न आए।

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि इन्हें नियमितीकरण करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे या डायरेक्टर साहब को कहेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि टी.सी.पी. में जो एरिया आए हैं, नेशनल हाइसे के जो भी डेढ़ सौ मीटर, और हमारा नीचे का काफी एरिया, काला अंब, त्रिलोकपुर, सेनवाला, आमवाला, बोलियां और कोलर तथा नेशन हाइवे पर सारा क्षेत्र आता है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

5.09.2024/1130/डी0टी0/एन0जी0-1

प्रश्न संख्या 2060 जारी...

श्री अजय सोलंकी जारी..

मेरा निवेदन आपसे है कि जो नेशनल हाइवे से 150 मीटर के कंसेप्ट में टी0सी0पी0 में जो भी एरियाज आये हैं मेरे विधान सभा का जो निचला क्षेत्र जैसे काला अंब, त्रिलोकपुर, सेनवाला-आमवाला, भोलियों, कोलर यानी नेशनल हाइवे के नजदीक जो भी क्षेत्र हैं, वे आते हैं। वहां पर लोगों के पास लैंड-होल्डिंग कम है। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इसपर भी पुनर्विचार करेगी कि जो टी0सी0पी0 में मर्ज एरियाज हैं उनको उसमें एग्ज़ेम्पट किया जाये, क्या सरकार ऐसा विचार रखती है; अगर नहीं; तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसपर भी पुर्नविचार किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही भी है लेकिन अगर हम देखें जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य हैं ये नेशनल हाइवे और फोरलेन के आसपास या जो विश्व बैंक की सहायता से हमारी रोड्ज अपग्रेड हुए हैं, उनके आस-पास ज्यादा होती है। उस हैपहैजर्ड डवलपमेंट को रेगुलेट करने के उद्देश्य से ही ऐसे एरियाज पैनिक एरियाज डिकलेअर किये गये हैं और उसका मकसद यही है कि वहां पर जो भी निर्माण कार्य हो वो डिजास्टर रिज़िल्यन्ट हो। वह निर्माण कार्य इस प्रकार किया जाये,

क्योंकि हिमाचल प्रदेश को हम एक टूरिस्ट स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत् रहते हैं, तो किसी तरह से भी प्रदेश की जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो प्रभावित न हो। क्योंकि जो बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घुमने आते हैं वे यहां की सीनिक ब्यूटी व यहां के नेचुरल लैंड स्केप्स को देखने के लिए आते हैं। जब हम बिना रेगुलेशन के कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि रोड से ऊपर चले जायें और इससे वेली व्यू प्रभावित होता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से भी हमें दिशानिर्देश मिलें हैं कि किसी भी तरीके से वेली व्यू आब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी ये फैसला किया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो रोड लेवल से एक मीटर नीचे तक होगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी अब ये इस प्रश्न का अंतिम अनुपूरक प्रश्न होगा।

5.09.2024/1130/डी0टी0/एन0जी0-2

श्री विनोद सुल्तानपुरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कसौली में कुछ ऐसे पोर्शन्ज हैं जहां पर वेली एक्ट लगता था लेकिन बाद में वो रिमूव हो गया। अभी कुमारहट्टी का जो एरिया है वहां पर फ्लाई-ओवर बन गया है और वेली के कारण वहां के जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले को पुनर्विचार किया जायेगा?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि फ्लाई-ओवर की वजह से, क्योंकि रोड का लेवल रेज हो गया है, अगर ऐसा होगा तो हम जो फ्लाई-ओवर की ऊंचाई है उस ऊंचाई से नीचे एक मीटर रखने के बारे में विचार कर सकते हैं।

5.09.2024/1130/डी0टी0/एन0जी0-3

प्रश्न संख्याः 2061

श्रीमती रीना कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि पच्छाद विधान क्षेत्र के अंतर्गत जो ढंगयार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है जबकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छः से सात पंचायतों के लोग उपचार करवाने आते हैं। लेकिन वहां पर चिकित्सक न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इस पद को आप कब तक भेरेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीया सदस्या ने प्रश्न उठाया है, ये सही है कि इनकी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों के 36 में 26 पद भरे हुए हैं और ढंगयार में चिकित्सक का पद अभी रिक्त पड़ा है। परन्तु Hon'ble Speaker, Sir, I would like to really brief on this scenario कि अभी इनके यहां ढंग्यार में चिकित्सक का रिक्त पद तो अभी भर दिया जायेगा। परन्तु दूसरे जितने भी हमारे रिक्त पद हैं जिनमें नैशलन हैल्थ मिशन के 1450 पद भरें जायेंगे और इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के 200 पदों को भरने के लिए अभी केबिनेट से भी मंजूरी मिली है और जिन्हें भरने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग कर रहा है, इसमें चिकित्सकों के रिक्त पदों से संबंधित जितने भी माननीय सदस्यों के प्रश्न रहते हैं, वह भी भर दिये जायेंगे। **जहां तक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ढंगयार का संबंध है, वहां भी शीघ्र ये पद भर दिया जायेगा।**

श्रीमती रीना कश्यप श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1135/ए.जी.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 2061.....जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पश्चात.....जारी

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछना चाहूंगी कि आपने नारग में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का

आश्वासन मुझे पिछले बजट सत्र के दौरान इस माननीय सदन में दिया था, आप उस संस्थान को कब तक खोलेंगे?

Health and Family Welfare Minister: It is a very relevant question, Mr. Speaker, Sir. **I can assure the Hon'ble Member कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे उपयुक्त स्थान है और माननीय सदस्य ने भी उसे रिकमेंड किया है, वह नारग ही है। हमारी जो संशोधित सूची होगी उसमें नारग ही लक्षित होगा और नारग में ही आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा।** अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी बहुत ही कुशल नेतृत्व के धनी हैं। उनका यह विचार भूमि पटल पर सामने आ रहा है और यह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इससे सभी ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ग्राम पंचायतों की कंसंट्रेशन है और **हमारे माननीय सदस्यों ने जो संस्थान चिन्हित किए हैं, वे ही स्थान आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के लिए लक्षित किए जाएंगे।** अभी भी यदि किसी माननीय सदस्य को इसमें कोई संशय या रिकमेंडेशन हो तो they are most welcome. They can recommend. They will be the one. **मैं माननीय सदस्य, श्रीमती रीना कश्यप जी को कहना चाहता हूं कि नारग ही आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होगा।**

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Health and Family Welfare Minister.

05-09-2024/1135/ए.जी.-एन.जी/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है। मैं कुछ चीजें सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले 8 माह में इस हैल्थ सिस्टम को ठीक किया जाए। इस दृष्टि से दो मेडिकल कॉलेज, आई.जी.एम.सी. व टाण्डा, को उनकी आवश्यकता अनुसार स्टाफ देने का लक्ष्य रखा गया

है। अभी हम अस्थाई तौर पर स्टाफ, चाहे पैरामेडिकल हो या स्टाफ नर्सिस हो, देने जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी मेडिकल कॉलेजिज़ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्टर-मरीज-स्टाफ नर्स रेशो मैंटेन करने पर काम किया जाएगा। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लगाने की बात कही है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी आने वाले 8-9 माह में आपके पास यह शिकायत नहीं रहेगी कि किसी पी.एच.सी. में डॉक्टर व स्टाफ नर्स और मल्टि पर्पस वर्कर नहीं हैं। हम जल्दी ही इन सभी पोस्टों को भरने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो उससे भी नीचे है, इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए हम कड़े प्रबन्ध कर रहे हैं और स्टाफ को भरने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं।

प्रश्न समाप्त/-

05-09-2024/1135/ए.जी.-एन.जी/3

प्रश्न संख्या - 2062

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने सभा पटल पर जो सूचना दी है उसके पहले भाग में "Nil" लिखा गया है। मैं इसे करैक्ट करना चाहूंगा क्योंकि सी.एस.आर. का पैसा हमारे विभाग को नहीं आता है और उसे इंडस्ट्रीज़ के लोग अपने आप ही खर्च करते हैं। पार्ट-ए के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में 10 इंडस्ट्रीज़ ने लगभग 70 लाख रुपये पिछले 2 सालों के दौरान सी.एस.आर. के तहत खर्च किया है। A**s far as Part-(b) is concerned** - "No tax benefit has been claimed by these industries from Industries Department during the last 3 years upto 31.07.2024."

Shri Vinod Sultanpuri : Sir, I want to supplement. इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज़ इस सी.एस.आर. फण्ड को यूज़ करती है, उसमें किसकी रिकमेंडेशन ली जाती है? माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका मिसयूज़ हो रहा है और वे सैल्फक्लेम करते हैं

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1140/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या : 2062 जारी--

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी---

कि हमने यहां इन्वेस्ट किया या हमने सी.एस.आर में यह काम किया है लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जो इस तरह की बातें हैं, उनमें बहुत गैप है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन जो यह सी.एस.आर. का पैसा है, इस पर स्टेट गवर्नमैंट का कोई कंट्रोल नहीं है। कॉर्पोरेट एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि it has been clarified that the State should refrain from issuing such guideline/order which may affect the independence and decision making process of CSR Committee and Board of the Company as CSR is concerned. क्योंकि सी.एस.आर. का पैसा कम्पनीज़ एक्ट के तहत होता है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है मगर फिर भी समय-समय पर, पिछली गवर्नमैंट ने भी इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखने की कोशिश की मगर हिमाचल प्रदेश के लॉ डिपार्टमैंट का कहना है कि कम्पनीज़ एक्ट के तहत हमें यह अधिकार नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं मगर हम परसूएशन कर सकते हैं। हम इन कम्पनीज़ के माध्यम से परसूएशन कर सकते हैं और इसमें एक और बात है कि हर फैक्टरी सी.एस.आर. का पैसा खर्च नहीं करती। कम्पनीज़ एक्ट में कहा गया है that specified company are those who are having net worth of 500 crores or a turnover of 1000 crores or more or a net profit of 5 crore only. इसमें तीन कटैगरीज़ हैं उनमें जो इस कटैगरी में होगी, वही सी.एस.आर. में 2 प्रतिशत पैसा खर्च करेगी।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हज़ारों उद्योग हैं जो सी.एस.आर. के अंतर्गत काम करते हैं।

उनकी मंशा हिमाचल प्रदेश में, जहां पर वे इंडस्ट्री लगाते हैं, जहां का वातावरण और नदियां उनसे प्रदूषित होती हैं, उस एरिया में वे प्राथमिकता पर पैसा खर्च नहीं करते। वे अपनी मनमर्जी से बाहर पैसा खर्च करते हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश में उनको उद्योग लगाने की अनुमति देते हैं, क्या भविष्य में आप इस तरह की कोई कंडिशन लगाएंगे कि कुछ प्रतिशत पैसा हिमाचल प्रदेश में जहां इंडस्ट्री लगती है, वे कंपलसरी वहां पर खर्च करने के लिए बाध्य हों?

05.09.2024/1140/केएस/एएस/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। खासकर कुछ कम्पनीज़ ऐसी हैं पूरे हिंदुस्तान में अलग-अलग राज्यों में जिनकी फैक्टरीज़ हैं जैसे सन फार्मा आदि हैं, उनकी फैक्टरियां हैं। जितना प्रॉफिट उनका हिमाचल के युनिट्स से आता हैं उस हिसाब से वे यहां पैसा खर्च नहीं करते, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं मगर प्रश्न यह है कि कम्पनीज़ एक्ट में हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ परसूएशन कर सकते हैं । विभाग के साथ भी आज जब मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि परसूएशन के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो डवल्पमेंटल वर्कस हैं, जहां-जहां समस्या है, अभी राकेश जम्वाल जी बैठे नहीं हैं, बी.बी.एन.डी.ए. का प्रोफिट ऑफ मार्जन जो है, वे हिमाचल प्रदेश में पैसा न खर्च करके पंजाब और अपने राज्यों में खर्च करते हैं। तो हमने इसका एक वे-आउट निकालेंगे कि लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि ये फैक्टरीज़ और कम्पनीज़ यहां पर पैसा खर्च करें। अभी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में फैक्टरियों की संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि शायद सौ से भी कम होंगी मगर वही कम्पनी जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होगा, उसको 2 प्रतिशत सी.एस.आर. में पैसा खर्च करना होगा। **मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। हम इसको एग्ज़ामिन करेंगे और जो भी इस सम्बन्ध में कर सकते हैं, वह करेंगे।**

प्रश्न समाप्त

05.09.2024/1140/केएस/एएस/3

प्रश्न संख्या : 2063

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन जगह आई.टी.आई. के जो भवन बनने हैं, चाहे भदरोता, चाहे मोंही या चाहे बतैल की बात हो,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.09.2024/1145/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2063---------- क्रमागत

श्री दलीप ठाकुर----------जारी

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके टैण्डर करके इनके भवनों का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और आप वहां के बच्चों को अच्छी सुविधा कब तक दे पाएंगे?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में तीन जगह बतैल, मोहीं और भदरोता में तीन आई0टी0आईज0 चल रही हैं मगर इन तीनों ही आई0टी0आईज0 के पास अपना भवन नहीं है और ये सभी किराये के भवनों में चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि हम तीनों जगह इनके लिए अपना भवन बनाएं। इसके लिए पहल कर दी गई है और भदरोता आई0टी0आई0 के लिए दिनांक 14 जून, 2024 को टैण्डर हो गया है और इस पर कुल 13.56 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसके अतिरिक्ति आई0टी0आई0 बतैल की 11.36 करोड़ रुपये और आई0टी0आई0 मोहीं की 12.91 करोड़ रुपये एस्टिमेटिड कॉस्ट है। **वहां काम शुरू करने के लिए इस राशि का 30 प्रतिशत चाहिए। इसलिए जैसे ही पैसों का प्रबंध होगा तो इन दो जगहों पर भी निर्माण कार्य शुरू करने के प्रयास करेंगे।**

05.09.2024/1145/av/as/2

प्रश्न संख्या : 2064

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से इस मंदिर का पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड मांगा था। लेकिन इसको अपडेट करके इसमें तीन गत वर्षों का रिकॉर्ड मांगा गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन वर्षों से ज्यादा सूचना नहीं मांगी जाती, this is our Rules. Anyway, you may ask your supplementary.

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गत तीन वर्षों का रिकॉर्ड दिया है तो मैं यह सारी सूचना डेटवाइज चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे डमटाल के राम गोपाल मंदिर के पास करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी है। इसका बहुत सारा पैसा एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की अपनी होटल यूनिट्स और क्रैशर यूनिट्स हैं तथा इस मंदिर की काफी आमदनी है। लेकिन अगर मंदिर की हालत देखी जाए तो उसको यहां सदन के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस मंदिर में जो भी अनियमितताएं हुई हैं क्या उनकी जांच करवाई जाएगी क्योंकि इस मंदिर के जीर्णोद्धार पर लाखों रुपये की राशि खर्च की गई है। लेकिन मंदिर की वास्तविक स्थिति कुछ और बयान कर रही है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की जमीन पर लोग अवैध कब्जों के माध्यम से रह रहे हैं। क्या माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, इस मंदिर की जमीन पर जो लोग पिछले 40-50 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे हैं, उन कब्ज़ों को आने वाले समय में नियमित करेंगे?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शुक्र करो कि माननीय सदस्य ने पिछले 500 सालों का रिकॉर्ड नहीं मांग लिया। यह बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर के पास जमीन और दूसरे असैट्स बहुत हैं। इस मंदिर के पास कुल 17418 कनाल जमीन है जिसमें से डमटाल में 16000 कनाल, शाहपुर में 145 कनाल और पठानकोट में 548 कनाल जमीन है। इसके

अतिरिक्त मंदिर के पास 15 करोड़ रुपये की एफ0डी0आर्ज0 हैं तथा वहां पर 5 होटल, दो पेट्रोल पम्प, 12 क्रैशर्ज और दो कमर्शियल इंस्टिच्यूट्स चल रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
प्रश्न संख्याः 2064 .... क्रमागत्
उप मुख्य मंत्री... जारी

तथा माननीय सदस्य इस विषय को ध्यान में लाए हैं। इस मंदिर की सालाना आय लगभग दो करोड़ रुपये है। माननीय सदस्य ने कहा कि इस मंदिर में बहुत-सारी अनियमितताएं हुईं हैं और बहुत पैसा खर्च किया गया है। इस मंदिर में जो खर्चे हुए हैं मैंने उनकी डिटेल मंगवाई है और मुझे नहीं लगता है कि इस मंदिर में हुए खर्चों की जांच करवाने की आवश्यकता है। इसमें छोटे-छोटे कार्य पर पिछले काफी सालों से लगभग 36 लाख रुपये खर्च हुए हैं जो कि ज्यादा नहीं है लेकिन इन्होंने मंदिर को बनाने के लिए 09 करोड़ रुपये की सैंक्शन ले रखी है उसको अभी रोक देंगे। यह सैंक्शन आपकी सरकार के समय में आखिरी महीने में हुई थी यानी चुनाव से कुछ समय पहले ही हुई थी। इसके लिए सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति को दो महीने के अंदर जमीन की डिमार्केशन और सारी सम्पत्तियों का ब्योरा तैयार करवाने के निर्देश देंगे। इस मंदिर को कैसे बनाना है, आप वहां के माननीय सदस्य भी हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी इस मंदिर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। इस मंदिर को 71 लाख रुपये क्रशर और होटलों से आता है। इसके अलावा ये गऊशाला भी चला रहे हैं। इसलिए इस मंदिर की सारी सम्पत्तियों और आय का लेखा-जोखा तैयार करवाएंगे कि मंदिर के पास क्या-क्या है और इस सम्पत्ति को कैसे संभालकर रखा जा सकता है? क्योंकि यह बहुत ज्यादा सम्पत्ति है। इसके अलावा जो संपत्ति पठाकोट में हैं उसका भी पता लगाया जाएगा कि वह किसके कब्जे में है। जहां तक इस मंदिर के निर्माण की बात है उसको दो महीने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तो शुरू करेंगे और इस बारे में माननीय सदस्य से भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में मंदिर की कमेटी भी बना लेंगे और फिर मंदिर का निर्माण करवाएंगे। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं और इससे पहले शाहपुर के माननीय

सदस्य भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

05.09.2024/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि Deity minor होता है और क्या यह भी सत्य है कि माइनर के असैट्स के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी या खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती है? यदि इस मंदिर की भूमि के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो क्या उनका आप संज्ञान लेंगे?

दूसरा, यदि प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी भूमि की खरीद-फरोख्त हुई है तो क्या आप उनका भी संज्ञान लेंगे?

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में आश्वासन दिया है कि हम हर प्रकार की स्थिति का अध्ययन करवा रहे हैं क्योंकि मामला अभी ध्यान में आया है कि मंदिर के पास 17 हजार कनाल के आसपास जमीन है।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

05-09-2024/1155/एन0एस0-डी0सी0/1

प्रश्न संख्या : 2064 ----क्रमागत

उप-मुख्य मंत्री -----जारी

सरकार उसकी मालिक है और कोई बेली-वारिस नहीं है। जिस तरीके से चल रहा है और आप लोग जिन-जिन विषयों को ध्यान में ला रहे हैं तो इन सब चीजों को कंसीडरेशन में लेकर हम पहले इसका पूरा लेखा जोखा तैयार करवा लेंगे और फिर आपके वैलिड क्वैश्चन्ज का जवाब दे पाऊंगा।

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं? यह अंतिम सप्लीमेंटरी है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय रणधीर शर्मा जी ने जो पूछा है उसका जवाब तो आ ही गया। अगर मंदिर के पास जमीन है, लोगों की मंदिर के प्रति श्रद्धा है और आपने कहा कि मंदिर की हालत अच्छी नहीं है तो मंदिर बनाने के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि पर आपने रोक लगाने के लिए कह दिया। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रोक लगाना वाज़िब है? मंदिर को भव्य बनने दीजिए। भव्य मंदिर बनेगा तो लोगों की और ज्यादा श्रद्धा होगी। ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो आय भी बढ़ेगी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश बड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुज़र रहा है। मुझे लगता है, आज कर्मचारियों को सैलरी मिलने की खबरें आएंगी। क्या यह सत्य है और पूरे प्रदेश में चर्चा है कि मंदिरों के सोने व चांदी को इकट्ठा करके सरकार गिरवी रखने का कोई फैसला करने जा रही है? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें कई लोगों ने पूछ लिया है क्योंकि आपने लोन तो जी0पी0एफ0 के अंगेस्ट भी ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, नौबत यहां तक आ गई है कि मंदिरों के सोने व चांदी को गिरवी रखा जा रहा है। क्या सरकार मंदिरों के सोने-चांदी को गिरवी रखने का विचार रखती है? माननीय सदस्य इस बारे में आशंकित हैं।

05-09-2024/1155/एन0एस0-डी0सी0/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि श्री जय राम ठाकुर जी स्वपन रूपी दुनिया में बैठे हुए हैं। ये हिमाचल प्रदेश में सनसनी फैलाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और आप यहां पर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ...(व्यवधान) आप बताएं।

Speaker: No interruption please. Hon'ble Member Shri Sanjay Rattanji don't interrupt. Please be seated. ...(Interruption).

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस मंदिर का सोना-चांदी गिरवी रखा गया? दूसरा, किस मंदिर के सोने-चांदी को गिरवी रखने की प्रपोजल आपको किस ने दिखाई? तीसरा, आपने किस अखबार में पढ़ा कि सोना-चांदी गिरवी रखा गया है? चौथा, आपने किस सोशल मीडिया में देखा कि सोना-चांदी गिरवी रखने की प्रपोजल

है? अध्यक्ष महोदय, यह इनके अपने मन की कल्पना है। यह बिल्कुल मन-गढ़ंत है और इनके अपने मन की सोच है। ...(व्यवधान) सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। आपने तो यह भी कह दिया कि प्रदेश दिवालिया हो गया। आज कर्मचारियों को तनख्वाह मिल गई है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर रहे हैं और प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि बड़ी जिम्मेवारी से काम लें और सरकार प्रदेश के किसी भी मंदिर का सोना-चांदी गिरवी नहीं रखने जा रही है। जो रखे होंगे, वे इन्होंने ही केदारनाथ मंदिर आदि के सोना-चांदी गिरवी रखे होंगे। हम नहीं रख रहे हैं।

प्रश्न संख्या 2065-----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1200/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 2065

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल के रूप में डवलप करने की बात की जा रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कांगड़ा-चम्बा पार्लियामेंटरी हलका पूरा आएगा या फिर कांगड़ा जिला को ही डवलप किया जाएगा? चम्बा में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए डी.पी.आर. तैयार है लेकिन यह डी.पी.आर. काफी समय से पवन हंस लिमिटिड के पास पेंडिंग पड़ी है। मैं चाहूंगा कि इस हेलीपोर्ट का अतिशीघ्र नींव पत्थर रखा जाए। चम्बा से मणिमहेश के लिए हैलिकॉप्टर सेवा शुरू की है लेकिन इसका एक साइड का किराया 25000 रुपये है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस किराये को मिनिमाइज करने का विचार करेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष कंफ्यूज्ड नहीं है? सवाल मंदिर का था और ये क्या पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी अभी आप चम्बा के बारे में उत्तर दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त सवाल के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां भी हैलीपोर्ट बनेंगे वहां हम आम-आदमी की सुविधा के लिए बस जितना किराया रखने का विचार रखते हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं?

05.09.2024/1200/RKS/HK-2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री इन्द्र सिंह : (***)

Speaker : The Point of Order raised by Hon'ble Member Shri Inder Singh Gandhiji is not allowed. I am not allowing it. That has not gone part of the record because this issue pertains to the discussion. Shri Rakesh Jamwalji, what is your Point of Order?

श्री राकेश जम्वाल : (***)

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1205/बी.एस./एच.के-1

व्यवस्था का प्रश्न

Speaker : Not allowed. माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी का इश्यू व्यवस्था के प्रश्न में नहीं आता। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, कोटला के अन्दर टनल बन रही है और यह नेशनल हाइवे है तथा इसके बारे में आज अखबारों में भी छपा है। यह लेह के लिए सबसे बड़ा मार्ग है, कल तक कोटला-लेह मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मैंने इसकी पूरी जानकारी भी ली और फिर मंत्री जी से भी बातचीत करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र दृहणि से कनेक्टेड है। त्रिलोकपुर का नेशलन हाइवे बन रहा है, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल भी टूट गया है। उन्होंने उसका वैकल्पिक रास्ता बनाया है। जिस तरह से रात को स्लाइडिंग हुई है, मैं आपके माध्यम से विभाग व एन.एच. ए.आई. जिसका भी काम है, उसको बताना चाहता हूं। यदि हमने जल्दी से सुओ-मोटो नहीं लिया तो दो दिनों के अंदर पठानकोट-मनाली रास्ता बंद हो जाएगा। मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस पर सरकार और प्रशासन जल्दी ही कोई-न-कोई एक्शन ले। यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोड है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय सोलंकी जी।

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि पिछले चार दिनों से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंगली हाथियों की मूवमेंट है और लगभग 100 बीघा के करीब धान की फसल नष्ट कर दी गई है। परसों एक आदमी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागा है और पिछले वर्ष भी कोलर पंचायत में एक महिला को जंगली हाथी ने मार दिया था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर वन विभाग की टीम को तैनात किया जाए और वहां पर कोई इंडिगेटर या सायरन की व्यवस्था की जाए। मेरी 13-14 पंचायतें ऐसी हैं जो मैदानी हैं। जहां जंगली हाथी की मूवमेंट हर वर्ष होती है और दहशत के

महौल में लोग पूरी-पूरी रात जाग कर काट रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि विभाग को दिशा-निर्देश दें।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप अपनी बात कहें, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रश्न भी दिया था परंतु वह लगा नहीं था। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। हमारी एक सड़क ब्रह्मपुखर-कंदरौर है। यह

पहले एन.एच.-88 था और अब फोर लेन बनने से उसे एन.एच.ए.आई. कवर नहीं करती। अब वह सड़क दो विधान सभा क्षेत्रों, आधी नैनादेवीजी विधान सभा क्षेत्र में आती है और आधी सदर विधान सभा क्षेत्र में आती है। ऐसे ही यह दो डिवीजन्ज में आती हैं आधी पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन-1 और आधी पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन-2 में आती है। जो सदर विधान सभा का हिस्सा है वह डिवीजन न0-1 है वह एन.एच.ए.आई से पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांस्फर हो गया है और रिपेयर को पैसा भी आ गया है तथा रिपेयर भी हो रही है। परंतु

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

5.09.2024/1210/डी0टी0/वाई0के0-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

जो हमारे विधान सभा क्षेत्र ब्रह्मपुखर से जब्बलपुर तक का हिस्सा है वो अभी तक हस्तांरित नहीं हुआ और न उसकी मरम्मत हो रही है। वहां इतना बुरा हाल है कि पिछले दिनों एक दुर्घटना में वहां पर एक नौजवान की मृत्यु हो गई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो डिवीजन न0-2 के अंतर्गत या मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुखर से जब्बलपुर तक की सड़क है उसको क्या एन0एच0आई0 से लेकर लोक निर्माण विभाग के डिवीजन न0-2 के अंतर्गत लाकर उसकी मरम्मत करवाई जायेगी, अगर मान लीजिए कि उसे हस्तांरित करने में टाइम लगता है तो स्टेट हैड से तुरन्त उसकी मरम्मत करवायें क्योंकि उस सड़क की बुरी हालत है। एक अन्य प्वाइंट जो मुख्य मंत्री जी ने इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व डॉ0 आर0जी0 मेडिकल कॉलेज टांडा में स्टॉफ नियुक्त करने के बारे में कहा, जिनमें नर्सिज व अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि कोराना काल के दौरान जिन पैरामेडिकल कर्मचारियों ने काम किया था और वह भी उस समय जब इंसान एक- दूसरे के पास जाने से घबराता था लेकिन उन लोगों ने कोरोना से प्रभावित लोगों की सेवा की है, क्या उनको जो भर्तियां सरकार करने जा रही है उसमें प्राथमिकता दी जायेगी?

Speaker: He has already said that. The Departments will take a cognizance of this and whatever the Hon'ble Member has said that is relevant and they will take action accordingly.

अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र शौरी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?

(श्री सुरेन्द्र शौरी द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये टेंडर्ज के बारे में पूछे गये प्रश्न को माननीय अध्यक्ष द्वारा मान्य नहीं माना गया और ये विधान सभा की प्रोसिडिंग्ज का पार्ट नहीं बना।)

Speaker: Hon'ble Member, this is not a forum for supplementary. इसके संबंध में आपको सूचना मिल गई है। Shri Surender Shourie I disallowed and whatever the Hon'ble Member has said, that will not form a part of the record.

अध्यक्ष: माननीय श्री संजय रत्न जी।

5.09.2024/1210/डी0टी0/वाई0के0-2

श्री संजय रत्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि पहले ठेकेदारों को सिमेंट लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया जाता था लेकिन वह हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरोपोरेशन द्वारा जारी किया जाता है। इससे बहुत बड़ी मुश्किल बी-क्लास के ठेकेदारों को आती है क्योंकि इसके लिए पहले पेमेंट जमा करवानी पड़ती है उसके बाद डिमांड देते हैं और उसके बाद सप्लाई आती है। इसके कारण बहुत से काम लंबित हो रहे हैं। दूसरी बात हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको भी पहले पैसे हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरोपोरेशन में जमा करवाने पड़ते हैं फिर उसकी डिमांड देने के बाद सप्लाई आती है और सप्लाई बहुत कम आती है। मेरा ये सुझाव है कि जैसे लोक निर्माण विभाग पहले कंपनी से सीधी सप्लाई लेकर अपने स्टोरज में रखकर ठेकेदारों को करता था या तो इसे उस तरह से किया जाये या फिर इसे सभी के लिए ओपन कर दिया जाये कि ओपन मार्केट से पंचायती राज संस्थान भी खरीद सकें और लोक निर्माण विभाग भी खरीद सके।

Speaker: Department may take a congnizance of it.

उपमुख्य मंत्री श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/1

अध्यक्ष के पश्चात.....जारी

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के दो बयान आए हैं और उन्हें मैंने भी सुना है। नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं वह सरकार नोट करती है। जो भी ये बाहर कहते हैं उसके कोई मायने होते हैं। इन्होंने दो बार बयान दिया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों व कंडक्टरों को कई महिनों से सैलरी नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत है। एच.आर.टी.सी. के ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य स्टाफ को आज दिन तक की सैलरी मिल चुकी है। पिछले सात माह से ड्राइवर्स, कंडक्टर्स व अन्य स्टाफ को पहली तारीख को सैलरी मिल रही है। इसमें कोई भी विसंगति नहीं थी। इसलिए आप (नेता विपक्ष) को जिसने भी ब्रीफ किया होगा, वह गलत किया है। मैं यह रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं क्योंकि आपका (नेता विपक्ष) बोला हुआ बाहर जाता है और फिर लोग उस पर चर्चा करते हैं। एच.आर.टी.सी. में लगातार समय पर सैलरी दी जा रही है।

Speaker : Thank you. The record will be corrected.

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-7/2019, दिनांक 27.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.04.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र0- ए- बी(7)-2/2024 (लूज), दिनांक 29.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय राजस्व मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विद्यालय-नई व्यवस्था, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ख(7)-2/2019-I, दिनांक 27.07.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/3

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2024-25), लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 252वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर

सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 205वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति के 286वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 93वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

iv. समिति के 117वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 48वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है।

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/4

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम चौधरी, सदस्य, कार्य-सलाहकार समिति, कार्य-सलाहकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) को सभा में उपस्थापित करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगिकार किया जाए।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) को सभा में उपस्थापित करता हूं और प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगिकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/5

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सब्मिट करना चाहता हूं कि यहां पर कुल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किए जाने हैं। यदि इन्हें एक-एक करके पुरः स्थापित करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्या इन्हें आप एक ही बार में पुरः स्थापित कर सकते हैं?

Speaker : Our Rules & Procedure says as such. नियमों अनुसार सभी को एक-एक करके रखना पड़ता है और मेरे लिए भी उतना ही काम है जितना आपके पास है। You happen to be a former Deputy Speaker.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

05-09-2024/1215/वाई.के.-एन.जी/6

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

बिल नम्बर-8.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1220/केएस/एजी/1

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

05.09.2024/1220/केएस/एजी/2

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

05.09.2024/1220/केएस/एजी/3

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
तो प्रश्न यह है कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

05.09.2024/1220/केएस/एजी/3

अध्यक्ष : अब माननीय राज स्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
तो प्रश्न यह है कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

बिल-12 अ0व0 की बारी में..

05.09.2024/1225/av/ag/1

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

05.09.2024/1225/av/ag/2

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

आज बाहरा विश्वविद्यालय के बच्चे भी यहां गैलरी में उपस्थित हैं। उनसे संबंधित यह कानून अब संशोधित रूप में आएगा।

अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

05.09.2024/1225/av/ag/3

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

05.09.2024/1225/av/ag/4

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय राजस्व मंत्री दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

अगला बिल की पुरःस्थापना टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16)को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : " चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।"

05.09.2024/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17)को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : "इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

05.09.2024/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : " महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

05.09.2024/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0-4

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : "शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

बिल न0 20 एन0एस0 द्वारा शुरू .....

05-09-2024/1235/एन0एस0-ए0एस0/1

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्याक 20) पुरःस्थापित हुआ।

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

तो प्रश्न यह है कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन

संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21) पुरःस्थापित हुआ।

05-09-2024/1235/एन0एस0-ए0एस0/3

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

तो प्रश्न यह है कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22)

को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22) पुरःस्थापित हुआ।

05-09-2024/1235/एन0एस0-ए0एस0/4

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

तो प्रश्न यह है कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23)को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23)

को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

आगे .....आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1240/RKS/DC-1

अध्यक्ष.... जारी

राजस्व मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो 17 बिल पेश हुए हैं मैं उनका ऑब्जैक्टिव बताना चाहता हूं। ' Statement of Objects and Reasons' Presently there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act 1956. All the private Univresties established in the State have the provisions relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provisions of the respective Private Universities Act. Sir,

it is same for all the Universities. The eternal university were established by making the Eternal University (Establishment and Regulation) Act,2008.Thus keeping in view the said recommendation of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activates of the said Universities. The purposed Bill seeks to amend the Section 38 & 39 of the Act ibid, to achieve the desired objectives. यह सभी में सेम है कि इनके अकाउंट्स माननीय सदन में ले होने चाहिए।

अध्यक्षः यह सारी अमेंडमेंट्स अधीनस्थ विधायन समिति की सिफारिशों के तहत प्रस्तावित हुई हैं और इसके लिए मैं अधीनस्थ विधायन समिति के माननीय सभापति व सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। आपने नियमों की परख कर इस बात को समझा जिसके कारण ये संशोधन इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

05.09.2024/1240/RKS/DC-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पर कोई सदस्य नहीं बोलना चाहता है।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4 व 5 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1245/बी.एस./डी.सी-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई

" हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) पर विचार किया जाए।

यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

05.09.2024/1245/बी.एस./डी.सी-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मुख्य मंत्री जी ले करके आए हैं यह उपयोगी है। जैसी इन्होंने चर्चा भी शुरू की थी कि जो नकली शराब बनती है या घटिया शराब आती है और उसका भण्डारण करके उसका उपयोग होता है उसके कारण कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कई लोगों की मृत्यु भी उसमें हुई है इसलिए इन्होंने बहुत से संशोधन लाकर नियमों को कड़ा किया है, सजा भी बढ़ाई है और जुर्माने भी बढ़ाए हैं, यह अच्छी बात है। मैं एक सुझाव मुख्य मंत्री जी देना चाहता हूं कि इसमें आपने पुलिस के रोल को बढ़ाया है। बिल, एक्ट में ही पुलिस का रोल मेंशन किया है हालांकि पुलिस पहले ही इस काम को करती है परंतु मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस ओवर बर्डन्ड है। पुलिस का मुख्य कार्य कानून-व्यवस्था का है परंतु अवैध कटान हो तो भी पुलिस जाएगी, अवैध खनन हो तब भी पुलिस ही जाएगी और इस तरह से अवैध शराब बनती है तो भी पुलिस ही जाएगी। अब थानों में कर्मचारी सीमित हैं और असली जो उनका काम है वह कानून-व्यवस्था का है। उसको करने की बजाय वे इन कामों में उलझे रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसे आप भी जानते हैं। उसके कारण कई ईमानदार आदमी भी बेइमान

होते जा रहे हैं। मेरा विधान सभा का क्षेत्र बोर्डर का है। एक हमारा थाना कोट-कहलूर है। अब सीमा पर अवैध खनन और अवैध कटान ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा मात्रा में होती हैं। आपकी सरकार के समय में एक एस.एच.ओ. चार बार ट्रांसफर करवा करके फिर से आ गया। आपने बदला उसने फिर ट्रांसफर कैंसिल करवा दी और वह परमोट हो करके फिर से वहीं आ गया। इसका क्या कारण है? आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, क्योंकि आप व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाते रहे हैं कि बड़े सालों से एक्साइज पुलिस की चर्चा होती आ रही है। उस नाते भी सरकार को विचार करना चाहिए। एक्साइज के पास इंस्पेक्टर्ज हैं उनका अपना स्टाफ है उनकी अपनी पुलिस और गार्द ऐसी हो कि वह अपने विभाग का काम खुद करें। फोरेस्ट गार्ड भी ऐसे हैं कि उन्हें वर्दी तो पुलिस की दी गई है। पीछे हथियार देने की बात हुई थी पंरतु वह भी सिरे नहीं चढ़ी और वह काम भी पुलिस ही करती है। माइनिंग में भी माइनिंग के गार्ड नियुक्त किए गए हैं, अगर अवैध खनन हो रहा है तो वहां भी पुलिस ही जाएगी। इसलिए या तो इन विभागों में इस तरह की व्यवस्था करें कि इनके कर्मचारी या गार्ड जो भी हैं उन्हें अलग से नियुक्त करें या फिर पुलिस विभाग में पोस्टें बढ़ा दें। हम ज्यादा पुलिस कर्मी लगाएं ताकि ये काम करते-करते

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

05.09.2024/1250/डीटी/एचके-1

श्री रणधीर शर्मा ...जारी

कानून व्यवस्था का काम सफर न हो। इस समय बहुत सी पुलिस फोर्स प्रोटोकोल ड्यूटी पर लगी है। लेकिन मैं इन विवादों मे न जाते हुए सिर्फ यह सुझाव देना चाहूंगा और शायद यह सुझाव इन संशोधनों से रिलेटिड नहीं है लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे उस दृष्टि से सार्थक है। जो अवैध शराब, अवैध खनन और अवैध कटान के मामले बढ़ रहे हैं उनमें नकेल कसी जा सके इसलिए मेरा यह सुझाव है।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

श्री रणधीर शर्मा जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कुछ सुझाव मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखे हैं। In which specifically you wanted to raise a task force for such kind of activities instead of Police. Hon'ble Chief Minister if you want to reply to this, you can.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ बातें हमारे ध्यान में लाई है। पहले जो लोग इलिगल एक्टिविटीज में शामिल होते थे उनके विरुद्ध कोई सख्त कानून नहीं था। सुन्दरनगर में जो ट्रेजडी हुई थी उसमें 8 लोग मर गए थे। कई लोगों की तो नजर भी चली गई थी। जो इलिगल लिकर बनाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध किस तरह सख्ती से काम किया जाए उस संबंध में यह अमेंडमेंट लाई है। इसमें हमने उनकी प्रोपर्टी को जब्त करने व पेनल्टी में वृद्धि करने बारे कहा है। हमें कहीं-न-कहीं सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मेरे साथी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे मैं कहना चाहूंगा कि यह भी व्यवस्था परिवर्तन है। यह कदम पिछली सरकार को उठाना चाहिए था क्योंकि पिछली बार 8 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे। कुछ लोग अंधे हो गए थे। हमने यह कानून लाया है और अध्यक्ष जी आप हमें बधाई दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। घटना घटने के बाद पुलिस को लाया जाता है। लेकिन आपका सुझाव आया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में भी पुलिस होनी चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश में 1200 पद कमांडो फोर्स के भरने जा रहे हैं। उसमें हम स्पेशल पुलिस के तौर पर सेकिंडमेंट में एक्साइज डिपार्टमेंट को पुलिस फोर्स उपलब्ध ताकि वे पर्टिकुलर काम को करें। हम

05.09.2024/1250/डीटी/एचके-2

यह भी तय करेंगे कि उनका टेन्योर कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि वे परमानेंट काम करके उसी संस्था के साथ चल पड़े, हम इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। हमने एक्साइज में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। हमने जी.एस.टी. काउंसिल और एक्साइज डिपार्टमेंट अलग बना दिया है। हम प्रमोशोन को भी लिंक कर रहे हैं ताकि एक्साइज व जी.एस.टी. में स्ट्रिक्टली रूल फोलो किए जाएं। इस अमेंडमेंट की हमें जरूरत थी। जो आपने सुझाव दिए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जब हमारी 1200 पुलिस कॉंस्टेबलों की भर्तियां शुरू हो जाएगी तो हम एक्साइज, टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी स्ट्रेंथन करेंगे। हमारी सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान दे रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-14 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, और 14 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए।

05.09.2024/1250/डीटी/एचके-3

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)पारित हुआ'।

श्री एन.जी.द्वारा... जारी

05-09-2024/1255/एच.के.-एन.जी/1

विधेयक संख्या - 26 के पारित होने के पश्चात.....जारी

अध्यक्ष : अब लंच ब्रेक के लिए पांच मिनट का समय ही शेष बचा है। आइटम नम्बर - 6, नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प पर पिछले कल चर्चा शुरू हुई थी। इसकी चर्चा में एक माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने भाग ले लिया था। इनके अलावा मेरे पास अभी 6 अन्य माननीय सदस्यों के नाम पेंडिंग पड़े हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। उसके बाद गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस भी है। नियम-102 के तहत एक अन्य विषय "भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर यह सदन विचार करे" भी लगा हुआ है और यह नेशनल टी.वी. पर भी आ रहा है। माननीय सदन की अनुमति हो तो लंच के बाद इन पर चर्चा करेंगे। The House is adjourned for lunch break till 2 O'Clock.

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1400/केएस/वाईके/1

सदन की बैठक दोपहर के भाजनोपरांत 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : जीत राम कटवाल जी, आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, 29 अगस्त, 2024 को नियम-101 के तहत लाए गए संकल्प कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने

बारे यह सदन विचार करे।" पर चर्चा हो चुकी है और यह आज के लिए कैरी ऑन हुआ था। इसको तो कन्क्लूड होना चाहिए। आज प्राइवेट मैम्बर डे है। यह ऑलरेडी कंटीन्यूड है।

अध्यक्ष : यह विषय आज लगा तो है।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष जी, लगा तो है लेकिन पहले इसको लिया जाना चाहिए। यह कंटिन्यूअस है। माननीय मंत्री जी का जवाब आएगा। इस पर पांच आदमी बोल चुके हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि पहले इसको लिया जाए।

अध्यक्ष : मैं आपको बताता हूं। मैं रूलिंग दे रहा हूं। इसमें ऐसा है कि आज प्राइवेट मैम्बर डे है और नियम-101 के अंतर्गत विषय उठते हैं और उसी चैप्टर में नियम-102 भी है जिसमें गवर्नमैंट के रिज़ॉल्यूशन्ज़ आते हैं। As and when there is a Government Resolution that takes a priority over the Rule-102. इसलिए पिछले कल जो इशू भी अंडर डेलिब्रेशन है, उसको हमने प्रायोरिटी दी है और आपका विषय भी रखा है। पहले गवर्नमैंट के रिज़ॉल्यूशन्ज़ को प्रायारिटी पर लेंगे क्योंकि यह व्यवस्था है। ...(व्यवधान) वह भी चला है और यह भी चला है। दोनों लिस्टिड हैं।

श्री जीत राम कटवाल : फिर तो वह डिबेट में आएगा ही नहीं।

अध्यक्ष : क्यों नहीं आएगा। आप देखते जाओ। कटवाल साहब आप बैठो तो सही। आपके तो मैंने इस बार बड़े इशूज़ लगाए हैं। मेरे ख्याल में इस बार के बैलट में भी आपका इशू है। Please take your seats.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.09.2024/1405/av/yk/1

अध्यक्ष----------जारी

पिछले कल नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत हो चुका है और उस पर चर्चा भी शुरू हो गई थी। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने उस पर अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। उस पर बोलने के लिए विपक्ष की ओर से दो माननीय सदस्यों के नाम आए हैं। मैं पहले माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी को चर्चा हेतु आमंत्रित करता

हूं। उसके बाद श्री भवानी सिंह पठानिया, श्री विपिन सिंह परमार, श्री सुरेश कुमार और फिर श्री नीरज नैय्यर जी बोलेंगे।

05.09.2024/1405/av/yk/2

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है। इस माननीय सदन की यह परम्परा रही है कि जिस दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस होता है वह माननीय सदस्यों को अपना विषय रखने के लिए पूरी तरह से डैडिकेट किया जाता है। मैं यहां पर इस प्रकार से पहली बार देख रहा हूं कि प्राइवेट मैंबर डे होने के बावजूद भी आज दो नोटिसिज डिस्कशन के लिए लगे हैं। इसमें एक माननीय मुख्य मंत्री जी का नियम-102 के अंतर्गत लगा है। यहां पर दो नोटिसिज लगाए हैं तो फिर गैर-सरकारी सदस्य दिवस का तो औचित्य ही खत्म हो जाता है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव लाया है, इस पर चर्चा हेतु आपके पास बहुत सारे माननीय सदस्यों के नाम आ चुके हैं तथा विपक्ष की तरफ से और भी आ सकते हैं। इस तरह से तो आज का दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस कंसीडर ही नहीं होगा। इस तरह से तो हमने गैर-सरकारी सदस्य दिवस का बिजनैस ही छोड़ दिया। अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद मुख्य मंत्री जी का जवाब आएगा तथा जवाब के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, यह भी मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि आज का दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस के रूप में माननीय सदस्यों को पूरी तरह से डैडिकेट होना चाहिए और माननीय सदन की परम्परा भी यही रही है। ठीक है, रूल्ज के हिसाब से पहले यह प्रस्ताव आता होगा लेकिन मैंने इस माननीय सदन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम लोग स्पष्ट हो जाएं तो बेहतर होगा। कल भी सत्र है तो हम इस विषय पर कल भी चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह ज्यादा उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक और विषय विपक्ष के सभी सदस्यों की तरफ से आया है जोकि आपके पास एक निवेदन के रूप में भी आया है। हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को जो सत्र रखा है, उसको अगर शनिवार किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विपक्ष की तरफ से एक ऐसा सुझाव आ रहा

है। अगर इस दिशा में सहमति बनती है तो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक रहेगा। हम दो दिन के लिए जाएंगे तथा फिर एक दिन के लिए वापिस आएंगे या तो सत्र और लम्बा होता तब तो ठीक था। परंतु सिर्फ एक दिन के लिए आना, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

05.09.2024/1405/av/yk/3

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इस संदर्भ में मुझसे भी अनुरोध किया है। I will talk to the Hon'ble Chief Minister as well as you. इसके अतिरिक्त बाकी विधायक भी जो कहेंगे, हम वह कर लेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने निवेदन किया है तो I will talk to the Hon'ble Chief Minister.

अध्यक्ष : अगर दोनों दलों की सहमति होगी तो विधान सभा सचिवालय को ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर इस संदर्भ में आज ही फैसला हो जाता है तो हम लोग अपना आगे का शैड्यूल उस हिसाब से फिक्स करेंगे।

मुख्य मंत्री टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1410/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने इस बारे में निवेदन किया है लेकिन हमारे नये माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि अगर यह सत्र एक दिन और चले तो उन्हें और सीखने का मौका मिलेगा तथा यह ऐतिहासिक होगा। ...(व्यवधान)...सीटिग्ज तो हो जाएगी लेकिन शनिवार को मुझे बहुत-सारी फाइलों को निकालना है और सोमवार को हम आपसे मिल लेंगे। इसलिए यह सत्र सोमवार तक चलना चाहिए। यदि सोमवार को देर तक भी चर्चा बढ़ानी होगी तो वह भी कर लेंगे।

अध्यक्ष : आप इसको हाउस से बाहर रिव्यू कर लें और जो भी आम सहमति बनेगी then this Secretariat is ready to enforce whatever the House desires. अब जो दूसरी

बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही है, वह बात सही है कि गैर-सरकारी कार्य दिवस पूर्णरूप से प्राइवेट रेज्योल्यूशन के लिए डेडीकेटिड होता है लेकिन नियम-102 के तहत भी जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए तो वह भी प्रायोरिटी लेता है, ऐसी भी कंवेंशन्ज हैं। अगर सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आता है कि इस विषय को शुक्रवार को ले लिया जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा, अब कितने विषय लेंगे? अभी हमारे पास बहुत-सारे विषय लिस्टिड हैं। आज ही मेरे चैंबर में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा, श्री विपिन सिंह परमार और अन्य सदस्य आए थे जो अपने-अपने विषयों को लगाने के बारे में आग्रह कर रहे थे और जिनको हम लगाएंगे लेकिन हमारे पास दो ही दिन बचे है और बीच में 5-6 घण्टे का समय हाउस का निकल गया है। We will extend it also tomorrow with the consent of the House. हम तो सारा बिजनेस करना चाह रहे हैं अगर आप सभी माननीय सदस्यों की इजाजत होगी तो कल सदन का समय भी बढ़ाया जा सकता है और सत्र शनिवार को होता है तो उस दिन भी सदन का समय बढ़ाया जा सकता है ताकि सारे विषयों पर चर्चा हो सकें। इसलिए आप आपस में सहमति बना लें। अभी सूची में जो नियम-102 का इश्यू है, मैं उसी को टेकअप कर रहा हूं unless the Parliamentary Affairs Minister request to withdraw this issue and to fix it up tomorrow.

05.09.2024/1410/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन तो शुरू हो ही चुकी है। The discussion has been started. Certain MLAs have spoken. We can reduce the list. इस प्रस्ताव पर आपकी साइड से दो माननीय सदस्य बोल लें और हमारी साइड से भी दो माननीय सदस्य भाग ले लेंगे। उसके बाद मुख्य मंत्री जी की ओर से इसका रिप्लाई आ जाएगा और इसको जल्दी से समाप्त कर लेते हैं।

अध्यक्ष : मुख्य संसदीय सचिव, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने बोल दिया है और अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी बोलेंगे।

Parliamentary Affairs Minister: One more person will speak from our side and two from that side (Opposition) and thereafter the Hon'ble Chief Minister will reply.

Speaker: Thereafter there will not be that much time. I think after Shri Randhir Sharma, let the Hon'ble Chief Minister reply.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब प्राइवेट मैंबर डे होता है तो उसमें समय की बढ़ोतरी नहीं होती है।

उप मुख्य मंत्री: आज का एक्सैप्शनल ले लो, आगे से प्राइवेट मैंबर-डे पर प्राइवेट मैंबर-डे ही होगा। इसलिए माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी बोले और उसके बाद मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दें।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव कल मुख्य संसदीय सचिव श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने मूव किया था। इसलिए दोनों तरफ से दो-दो माननीय सदस्य बोल लें और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दे दें। हम बिल्कुल कम बोलेंगे।

Speaker: We work it accordingly instead wasting of time. Shri Randhir Sharmaji.

एन0एस0 द्वारा जारी .....

05-09-2024/1415/एन0एस0-ए0जी0/1

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकारी संकल्प है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।" अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। परंतु

निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज्यादा था और यह आपदा एक तरह से अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अभूतपूर्व थी। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर राहत का काम किया। उसमें केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार को यथासंभव सहयोग दिया। प्रदेश की जनता ने भी दिल खोल कर मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में लगभग 251 करोड़ रुपये जमा करवाए। इस तरह से पिछले साल आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, कई विषयों पर कुछ विरोधाभास और कॉंट्रोवर्सीज रहती हैं। पूरा साल यह विरोधाभास चला है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और जिस उद्देश्य से यह संकल्प लाया भी गया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय में भरपूर राहत नहीं दी। राहत राशि अलग-अलग मदों में आई या अलग-अलग विभागों के माध्यम से आई, अगर उसका टोटल किया जाए तो लगभग 6,000 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि एन0डी0आर0एफ व एस0डी0आर0एफ0 में 1,782 करोड़ रुपये, पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-II में 254 सड़कों के लिए 2,643 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री आवास योजना के 11,000 मकान अगर 1.65 लाख रुपये एक मकान के जोड़ें तो 181 करोड़ रुपये, नेशनल हाइवेज के लिए 400 करोड़ रुपये और मुख्य मंत्री जी ने भी राहत पैकेज दिया था उसमें मनरेगा का कंपोनैंट 1,000 करोड़ रुपये डाला है तो ये राशि भी केंद्र से ही आनी थी। इसलिए सारी राशि का टोटल करें तो 6,000 करोड़

रुपये से ऊपर पहुंचता है। अब उसमें आप कहेंगे कि हमारा हक है और फेडरल स्ट्रक्चर है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय आप मांग तो 9,000 करोड़ रुपये की कर रहे हैं। अभी इस प्रस्ताव के माध्यम से और मांग कर रहे हैं। परंतु आपकी सरकार की हालत यह है कि आप एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 का पैसा भी 31 मार्च तक पूरा खर्च नहीं कर पाए। 1,782 करोड़ रुपये में से 142 करोड़ रुपये दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अनस्पेंट था। इसको आप खर्च ही नहीं कर पाए। मैंने आपदा की चर्चा में भी इस बारे में बोला था और राजस्व मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब सच्चाई है। अब सरकार जो राशि आई है और जनता ने 251 करोड़ रुपये दिए हैं, उसको भी पूरा खर्च नहीं कर पाई। इसमें से भी पैसे बचे और 1,782 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर पाए। यह ठीक है

कि पी0एम0जी0एस0वाई की सड़कों के काम चले हुए हैं और उनमें समय लगेगा। परंतु यह पैसा भी आप खर्च नहीं कर पाए तो और किस मुंह से मांग रहे हैं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1420/RKS/As-1

श्री रणधीर शर्मा...जारी

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप कृपया पेशेंस रखें। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने जो 4500 करोड़ रुपये का दिया था उसके बारे में 09 सितम्बर, 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर उस पैकेज पर नजर दौड़ाई जाए तो यह पता चलता है कि सरकार के आंकड़े कितने विरोधाभासी हैं। दूसरा, यह स्पष्ट होता है कि वह राहत पैकेज कागजी है। उस राहत पैकेज में यह कहा गया कि 3500 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसी सत्र में एक बार कहा कि 2200 घर क्षतिग्रस्त हुए और दूसरे दिन कहा कि 22000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि आपके राहत पैकेज में 3500 घर क्षतिग्रस्त दर्शाए हैं। क्या सही है क्या नहीं इसके बारे में आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जब आपकी सरकार को यह पता नहीं है कि आपदा आने के बाद कुल कितने घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए तो फिर आप किस बात की मांग कर रहे हैं? फिर आपको राहत मांगने का क्या अधिकार है? ...(व्यवधान) सर, यह 09 सितम्बर का है। ...(व्यवधान) गलत आंकड़े आपने दिए होंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महादेय, जिस दृष्टि से संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस दृष्टि से माननीय सदस्य चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपदा में 3500 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूर्णतः और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का आंकड़ा 22000 है। यही मंत्री जी ने कहा है लेकिन आप इस स्टेटमेंट को विरोधाभासी बना रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : सर उस दिन तो 2200 और 22000 कहा गया था लेकिन अब आप जो मर्जी सफाई दें। आपका यही प्रस्ताव है। ...(व्यवधान) आपको और पैसा क्यों चाहिए, हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

05.09.2024/1420/RKS/As-2

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य आप संकल्प को पढ़ें। ऐसा हो गया, वैसा हो गया इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान) जब आपदा पर चर्चा हो रही थी उस समय आपको यह बातें रखनी चाहिए थी। आपदा पर चर्चा करने के लिए जब तीन दिन रखे थे तो उस समय आप सदन से वाकआउट कर गए। उस समय आपने अपनी बात नहीं रखी। अगर आप उस समय इन चीजों का जिक्र करते तो मंत्री जी इन बातों का उत्तर देते। आप नियम-102 के तहत अपनी बात रख रहे हैं। आप वरिष्ठ विधायक हैं। आप कम-से-कम इस संकल्प का सार तो पढ़ लेते। यह संकल्प आपदा पर बहस करने के लिए नहीं लाया गया है। यहां चार दिन तक आपदा पर चर्चा हुई है और उस चर्चा में एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. के सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन आप उस समय नारे लगाने चले गए थे। यह संकल्प किसी और विषय पर है और आप किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि यह संकल्प जिस विषय पर लाया गया है आप उस विषय पर चर्चा करें। हमने कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह सिक्किम, उत्तराखंड और असम को विशेष सहायता देने की बात की है उसी तरह हमें भी सहायता प्रदान की जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के समय खड़े होकर हिमाचल प्रदेश का नाम लिया था। लेकिन हमें multilateral agency कह दिया जिसमें PMGSY.

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1425/बी.एस./ए.एस-1

मुख्य मंत्री जारी...

कोई भी आ सकता है। इन चीजों के बारे में हम एक अनुरोध भारत सरकार के इस संकल्प के माध्यम से करना चाह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, आपको इस पर बोलना चाहिए था। माननीय सदस्य आपदा पर बालने लग पड़े। जनता जानती है कि हमने आपदा में क्या काम किया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर जी, कृपया एक मिनट-एक मिनट ...(Interruption) । am giving you a chance. ...(व्यवधान) मैं नियम-111 को पढ़ लूं। ...(व्यवधान) सरकारी प्रस्ताव में संशोधन भी आ सकता है और इसमें as per Rule, duration of speeches is fixed for 15 minutes and the scope of the discussion is, "The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution". माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी अपनी बात कहें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं और जिससे दिक्कत हुई, दिक्कत यह हुई कि इन्होंने पैकेज के नाम पर लोगों को ठगा, उन्हें कुछ नहीं दिया। जो सात लाख रुपये की घोषणा की थी उसमें केवल तीन लाख रुपये दिया। 1.65 लाख रुपये केन्द्र से प्रधान मंत्री आवास योजना में आया, 1.30 लाख रुपये आपने वेलफेयर के भी मकान काटे, इन्दिरा आवास योजना के भी मकान काटे और वे दे दिए। आपने पैसा कहां पर दिया? डंगे आपने मनरेगा में लगा दिए। वह एक हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दे दिया। आपसे एन.डी.आर.एफ और एस.डी.आर.एफ. का पैसा नहीं खर्चा गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे इन्होंने कहा है कि इतने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान हुए हैं। आपने कहा कि हम उन्हें 25 गुणा ज्यादा यानी 4,000 रुपये से ज्यादा एक लाख रुपये देंगे। कृपया बताइए कि कितनों को यह पैसा दिया? हमें भी पता चले। आपने कहा कि गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें से कितनो को पैसा दिया है? ये सब चीजें सरकार स्पष्ट करें, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो आपको अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी आंकड़े बताएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने पैकेज के नाम पर लोगों को ठगा है, उस पर आप कामयाब नहीं होंगे। आपने उस पैकेज के नाम पर बन्दरबांट की, भाई-भतीजावाद किया

05.09.2024/1425/बी.एस./ए.एस-2

और भ्रष्टाचार किया। एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. का पैसा लोगों के खाते में सीधा जाने की बजाय कांग्रेस के पदाधिकारी कैश के रूप में बांटते रहे। हमने सदन में मुद्दा उठाया। हमने अखबार की कटिंग दी परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की पत्नियां पैसा बांटती रही। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह पैसा किसका था? वह पैसा जनता का पैसा था, वह पैसा एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. का था। क्या केन्द्र सरकार से आपको इस लिए पैसा दिला दें कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा बांटते रहें। आपने पिछला पैसा बांटा आप उसकी जांच करो? कितनी बार यहां सदन में मुद्दा आया है, कितनी बार हमने नाम दिए। हमने कितनी बार अखबारों की कटिंग दी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि पैसे दो, पैसे दो। यह ठीक है कि इनको पैकेज से ज्यादा दिक्कत है परंतु बताना तो चाहिए। आपने तो कहा था कि मकान बनाने में सरकारी सीमेंट देंगे। क्या आपने किसी को एक बोरी भी दी? और कहा था कि सरकारी रेट पर सीमेंट देंगे, किसी को दिया? उलटा सीमेंट मंहगा कर दिया।

मख्य मंत्री : माननीय सदस्य बिल पर नहीं परंतु आपदा पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : मुख्य मंत्री जी, आप पैसा किस लिए मांग रहे हैं? आपदा के लिए ही मांग रहे हैं। हम आपदा के ऊपर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे? मैं तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी बोल दूंगा। मैंने यहां पर पढ़ करके सुनाया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

5.09.2024/1430/डी0टी0/डी0सी0-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो केंद्र से अन्याय की बात कर रहे हैं उसके लिए दोषी कौन है? क्या ये सच्चाई नहीं कि इस साल हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केंद्र

सराकर की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया? जब आप संवैधानिक बैठकों का, जहां ये सारी नीति बननी है, बहिष्कार करेंगे, केंद्र के प्रति असहयोग की भावना रखेंगे, फिर आप चाहो कि केंद्र सहयोग करे। व्यवधान... अध्यक्ष महोदय मैं अगर ये न बोलूं तो क्या बोलूं? सत्ता पक्ष के लोग जो मुझे कहें वह शब्द मैं बोलूं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप मुझे एड्रेस करो।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि नीति आयोग की बैठक में अगर मुख्य मंत्री चले जाते तो क्या था? क्या उस बैठक में न जाने से हिमाचल प्रदेश का नुकसान नहीं हुआ। हमनें पिछली बार भी कहा, सत्ता पक्ष वाले कहते थे कि हम प्रस्ताव का समर्थन करें, आप ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ केंद्र सरकार के पास चलें। हमनें पहले ही दिन कहा था इसके लिए आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ, उसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा हो। आप बोलें और हम आपके पीछे चलें, ऐसा संभव नहीं है। पिछले एक साल क्या आपने, सर्वदलीय बैठक तो छोड़ो, व्यवधान...सैशन अलग चीज है, सैशन में आप राजनितिक स्कोर सैट्टल करते हो, हमें पता है। परंतु सर्वदलीय बैठक में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। अगर एक साथ केंद्र सरकार से मिलने जाना है तो उसके लिये समय मांगा जाता है, वहां जाकर क्या बात करनी है ये तय किया जाता है। आप जो बोलो वही भाषा हम बोलें, ये तो संभव नहीं है। आप सरकार में है आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर आप इस मुद्दे में विपक्ष का साथ चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयास तो करो। हमारे लोगों को भी बुलाओ आप के लोग भी बैठें। आप एक सार्थक प्रयास तो करो। मुख्य मंत्री जी विपक्ष से तो क्या आपसे भी चर्चा नहीं करते। कल ये कहते रहे कि उस मामले को सलैक्ट कमेटी के पास भेज दो, उसमें आप नहीं माने।

Speaker: Hon'ble Member is referring to the dinner diplomacy.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए अधिकारिक बैठक हो। मैं पर्दे के पीछे की बात नहीं कर रहा, I want an official meeting. वो प्रयास

जिसमें विपक्ष को साथ रखना चाहिए था, ऐसे प्रयास मुख्य मंत्री जी आपके द्वारा नहीं किये गये। इसमें आपकी विफलता है। मुझे जो सुचनायें मिल रहीं हैं, आप तो न केबिनेट मंत्रियों की सुन रहे हैं, न विधायकों की सुन रहे हैं, आप सुनते किसकी हैं? जरा उपमुख्य मंत्री

महोदय की सुन लेते। जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तो बहुत बोलते थे और हमें बड़ा पाठ पढ़ाते थे कि फिजूलखर्ची कंट्रोल करो, आप इसमें इतनी कटौती करो। मुकेश जी ये बातें जरा इनको भी सिखाओ। वह भाषण इनको भी सुनाओ जब आप कहते थे कि इतने चेयरमेन कम करो। इन बोर्डो में चेयरमेन नहीं होने चाहिए। वह पाठ आप जब इस तरफ थे तो बहुत पढाते थे अब वहां जाकर उन पाठों को क्यों भूल गये? अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और अगर राहत के लिए परेशानी आ रही है ये इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि सरकार ने कई लोगों को केबिनेट रेंक की चेयरमेनशीप दे दी है। सी0पी0एस0 और अन्य तरह की कई फिजूलखर्चियां आप कर रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा और मुख्य मंत्री जी के चहेते का वेतन 30 हज़ार रुपये से 1,30,000/- रुपये होता है, इस तरह से आपदा से लड़ाई लड़ेंगे आप? मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है।

मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश सरकार ने हर बात के लिए केंद्र की ओर देखना है तो क्या कर सकते हैं? बागवानी मंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि प्रदेश में बागवानी कॉलेज तब शुरू होगा जब केंद्र इसके लिए 300 करोड़ रुपये देगा। लोक निर्माण मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं कि सड़के तब बनेगी जब केंद्र सरकार पैसा देगी लेकिन लोक निर्माण मंत्री जी बोलते कम हैं और केंद्र से पैसा ज्यादा लेकर आते हैं। उपमुख्य मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी बोलते हैं कि खड्डों का चेनलाइजेशन तब होगा जब केंद्र पैसा देगा। मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कर्मचारियों को वेतन तब मिलेगा जब केंद्र पैसा देगा। आपदा में लोगों को राहत तब मिलेगी जब केंद्र पैसा देगा। जब सब कुछ केंद्र सरकार ने ही देना है तो आप सरकार में किस लिए बैठे हैं। सदन सिफारिश करे कि प्रदेश में राज्यपाल शासन लगा दिया जाये। जब केंद्र सरकार ने ही सब खर्चा करना है फिर तो किसी बात की चिंता ही नहीं। प्रदेश सरकार ने जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। ये हालात आपने बनाएं हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक इस संकल्प का समर्थन करने की बात है, हमें इसका समर्थन करने में दिक्कत नहीं है, परन्तु हमारी दिक्कत ये है कि हमारे मन में शक है कि जो राहत का पैसा आयेगा वह सही जगह खर्च नहीं होगा। वो प्रभावितों तक नहीं पहुंचेगा

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1435/डी.सी.-एन.जी/1

श्री रणधीर शर्मा.....जारी

इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तब वे बताएं कि जो उन्होंने पैकेज में घोषणाएं की थीं, उसमें आपने जिन-जिन मुद्दों को लिया है, चाहे वह क्षतिग्रस्त मकानों का है, चाहे गौशालाओं का है और चाहे पशुओं का है, उन पर मुख्य मंत्री जी बताएं कि क्या-क्या कार्य किया है? दूसरा, यह भी बताएं कि हमें कैसे विश्वास होगा, हम आपका समर्थन भी करें, आपको केन्द्र से पैसा भी दिलवाएं, क्या मालूम वह पैसा आपदा प्रभावितों तक पहुंचने की बजाय आपकी गारंटियों को पूरा करने पर खर्च हो जाए, क्या आप शपथ पत्र देंगे कि गारंटियों पर खर्च नहीं करेंगे? क्या आप इस बारे में इस माननीय सदन में कहेंगे? आपने पिछली बार की अनस्पैंड मनी रखी है, क्या उस पैसे को खर्च करेंगे? यदि यह विश्वास माननीय सदन में देंगे तो निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे और हमें इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। परंतु अभी स्थिति यह है कि हमें विश्वास नहीं है। मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद अगर हमें लगेगा कि केन्द्र सरकार से जो पैसा आएगा वह सही जगह खर्च होगा, आपदा प्रभावितों को मिलेगा, तो निश्चित रूप से सर्मथन करने पर विचार करेंगे। अन्यथा अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर तब तक विचार करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

05-09-2024/1435/डी.सी.-एन.जी/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में हर रोज़ पटरियों से रेल उतरती जा रही है जोकि 40-50 बार हो चुका है, तो माननीय सदस्य ने यहां पर जो अपना वक्तव्य दिया, यह भी पटरी से उतर गया। यहां पर मुद्दा केन्द्र सरकार से पैसे मिलने को लेकर है। जिस प्रकार से बीजेपी रूल्ड स्टेटस को पैसा दिया गया उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश को भी दिया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। हम कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार हमें मदद करे। हम केन्द्र से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम भी भारत देश में रहते हैं। ...(व्यवधान) अगर हिमाचल प्रदेश भारत देश में है तो यह हिमाचल का हक है।...(व्यवधान)

Speaker: Please be quite. ...(Interruption)

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि केन्द्र से मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग केन्द्र सरकार को इंकम टैक्स देते हैं। ...(व्यवधान) जब आप बोले तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। ...(व्यवधान)

सर, ये क्यों उठ गए हैं? ...(व्यवधान) Speaker Sir, you have not given him permission to speak. ...(व्यवधान) हमने इनके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला है। Who has given him permission to speak? Sir you have not given him permission to speak. Why is he interrupting? ...(Interruption) This is not the way....(व्यवधान)

अध्यक्ष : Let the Hon'ble Revenue Minister complete. ...(Interruption)

Revenue Minister : This is not the way. ...(Interruption) He (Shri Jai Ram Thakur) cannot interrupt....(व्यवधान) सर, जय राम जी, कैसे खड़े हो कर बात कर सकते हैं? ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आपने अनुमति ही नहीं दी है। यह माननीय सदन नियमों के तहत चलता है। जय राम जी की मर्जी से नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats (to the Members of Opposition). ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : मैं भी खड़ा हूं, क्या कर लेंगे आप? ...(व्यवधान)

05-09-2024/1435/डी.सी.-एन.जी/3

Speaker: Please take your seats (to the Members of Opposition). ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : यह कोई बात हुई कि मैं खड़ा हूं, क्या कर लेंगे आप? ...(व्यवधान) मैं नहीं नियम करेंगे, आपको बैठाने के लिए। ...(व्यवधान) नियम के तहत आप नीचे होंगे। ...(व्यवधान) हो गया जो होना था, सामने दिख रहा है।...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats (to the Members of Opposition). ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे संविधानिक अधिकारों का जब ये हनन करेंगे तब ऐसा ही होगा।...(व्यवधान) जब ये बोल रहे थे तब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला।...(व्यवधान) सर, यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Minister please conclude. ...(Interruption)

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर** शोरगुल करने **लगे।**)

राजस्व मंत्री : क्या मैं यहां पर जय राम के अपशब्द सुनने के लिए बैठा हूं? ...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : How can he say this way? ...(Interruption)

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : सर, ये क्या बोल रहा है?...(व्यवधान)

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए**)

05-09-2024/1435/डी.सी.-एन.जी/4

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी, आप बोलिए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की मर्जी से यह माननीय सदन नहीं चलेगा। यह माननीय सदन तो नियमों के तहत चलना है। जब श्री रणधीर शर्मा जी बोल रहे थे तब मैंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। इन्होंने मेरे विभाग से संबंधित बहुत सारी बातों को कहा। मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उसमें श्री जय राम ठाकुर जी बीच में खड़े हो गए और आपने इन्हें कोई अनुमति भी नहीं दी। बिना

अनुमति के श्री जय राम ठाकुर जी खड़े क्यों होते हैं? अगर ये इसी तरह से चिल्लाएंगे, तो ठीक नहीं है। जब ये मुख्य मंत्री थे और मैं विपक्ष में था तब भी ये मेरे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते थे। (***)

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1440/केएस/एचके/1

राजस्व मंत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब डिबेट के बीच में जय राम जी 2200 मकान कह रहे थे, मैंने उस समय कहा कि 2200 नहीं 22,000, परंतु जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो मैं भी गलत था। दूसरे दिन मैंने लिखित में आपकी अनुमति से सदन में स्टेटमैंट में करैक्शन की क्योंकि न तो 2200 और न ही 22,000 मकान थे टोटल 24 हजार कुछ मकान पार्शियली डैमेज्ड, फुली डेमेज्ड और गौशालाओं को मिलाकर थे। वह करैक्शन तो मैंने उसी दिन कर ली थी। फिर इस माननीय सदन में नियम-130 के तहत आपदा के ऊपर चार दिन डिस्कशन हुई। पूरे 40 घंटे इसमें डिबेट हुई और उसमें पक्ष और विपक्ष के 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद मैंने जवाब दिया। जब मैं जवाब दे रहा था तो रणधीर जी और इनकी पूरी टीम मेरे जवाब देने से पहले ही बाहर चली गई बल्कि मेरे जवाब देने से पहले ही ये बाहर थे, अंदर नहीं आए। आज जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए ये फिर से बाहर चले गए। मेरा पूछना यह है कि हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में, एक प्रदेश होते हुए क्या हमें हक नहीं है कि हमें केंद्र की मदद मिले, वह भी ऐसे समय में जब आपदा है? हमने यह कहा है कि आपदा का मूल्यांकन केंद्र की टीम तीन बार करके गई है। उन्होंने 9 हज़ार से ऊपर का मूल्यांकन किया है परंतु हमें अभी तक कोई भी पैकेज नहीं मिला। इन्होंने जब केंद्र में बजट पेश किया, उसमें बहुत सारे राज्यों को पैकेज देने की

बात की गई। जिसमें बिहार, आसाम और उत्तराखंड हैं परंतु हिमाचल को कहते हैं कि इनको और तरीके से असिस्टेंस देंगे। ऐसे नहीं देंगे जैसे इन राज्यों को दी है। तो यह भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, आज मुद्दा यह है। हम यह कह रहे हैं कि हम केंद्र से सहायता मांगने के लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं तो उसमें या तो हमें ये सहयोग दें या प्रस्ताव का विरोध करें। इनको बाहर जाने का बहाना चाहिए था क्योंकि इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना था, जिस हिसाब से ये भाषण दे रहे थे। तो ऐसे ही एक मुद्दा बनाकर ये बाहर चले गए। जिस तरह से पिछली बार भी हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव लाया था, उस समय भी ये यहां से भाग गए थे। तो इस तरह से यह सदन नहीं

चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा बार-बार निवेदन है कि जय राम जी को या तो आप सीट बैल्ट से बांध दें जैसे गाड़ी में होती है और उसका कंट्रोल आप अपने पास रखें। जब आपने परमिशन देनी है तो बटन दबा दें तब जय राम जी ऊपर उठ जाएंगे अन्यथा ये किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। मुझे तो ये क्या बोलने देंगे, ये अपने साथियों को भी नहीं बोलने देते। सप्लीमेंट्री वह सदस्य पूछता है जिसका प्रश्न लगा होता है परंतु जय राम जी सप्लीमेंट्री पूछने से पहले खुद ही खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े सदस्य बेचारे मायूस हो कर बैठ जाते हैं कि हमारे आगे कैसा व्यक्ति बिठा कर रखा हुआ है? यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद ।

Speaker : I have not given permission to anyone except Hon'ble Revenue Minister Shri Jagat Singh Negiji to state certain things, rest of the things will not be a part of the record because nobody was permitted to speak. So I must clarify that position also. Now, whatever they did, whether it is a boycott or a protest that is of their own. माननीय उप-मुख्य मंत्री जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हाउस की अपनी कंवेंशन्ज़ रही हैं कि जब भी प्रदेश हित की कोई बात होती है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष-विपक्ष यहां पर रेजोल्यूशन पास करके भेजते रहे हैं। यह एक नए किस्म का विधायक दल आ गया है, नई लीडरशिप आ गई है। ये पूरी तरह डायरैक्शन लैस हो चुके हैं। जब

प्रदेश हित की बात आती है तो ये बार-बार बाहर जाने के बहाने ढूंढते हैं, जैसे नेगी जी ने भी कहा। आज इस बात पर प्रस्ताव आया है कि अगर आप सिक्किम, आसाम और उत्तराखंड को डायरैक्ट मदद कर रहे हैं तो हिमाचल को इनडायरैक्ट मदद की बात कैसे अपने युनियन बजट में कह रहे हैं? यह हिमाचल से सीधा-सीधा अन्याय है और केंद्र की मंशा इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि हिमाचल प्रदेश को परेशान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को वित्तीय मोर्चे पर दिक्कतें खड़ी करने के नज़रिये से ऐसा किया जा रहा है और यह तो स्पष्ट तौर पर सारे हिंदुस्तान ने देखा कि जब चार राज्यों की बात हुई, तीन को कहा कि सीधा पैसा देंगे और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

05.09.2024/1445/av/एच के/1

उप-मुख्य मंत्री----------जारी

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति में दिक्कतें खड़ी करने के नज़रिए से यह सब किया जा रहा है। यह तो सारे हिन्दुस्तान ने देखा कि जब चार राज्यों की बात हुई तो उसमें से तीन को कहा कि सीधा पैसा देंगे और हिमाचल प्रदेश को कहा कि आपको मल्टी लेटरल प्रोजैक्ट्स के माध्यम से देंगे ताकि इनडायरैक्ट पैसा आए। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने 5 वर्षों तक मुख्य मंत्री की कुर्सी को सुशोभित किया है। जब पहले रैजोल्यूशन हुआ, वे उस समय भी चले गए और आज हम सब जानते थे तथा हम बात भी कर रहे थे कि इस रैजोल्यूशन पर विपक्ष के लोग अंदर नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, वही हुआ। इन्होंने आते ही शुरू कर दिया और इनका व्यवहार बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। सारा हिमाचल प्रदेश देख रहा है कि ये लोग हिमाचल प्रदेश की लड़ाई में हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हमें केंद्र ने 9000 करोड़ रुपये आपदा के देने हैं मगर केंद्र हमें वह पैसा नहीं दे रहा है। हमारे पेंशनर्स का 9000 करोड़ रुपया लेकर ये दिल्ली में बैठे हुए हैं और उस पैसे को हमें नहीं दे रहे हैं। हमें ये जी0एस0टी0 का पैसा नहीं दे रहे हैं। इन्होंने हमारी रैवन्यू डैफिसिट की ग्रांट घटा दी है। इन्होंने हमारे फॉरैन फंडिंग के पैसों पर कैप लगा दी है। इन्होंने हमारी लोन की सीमा में कटौती कर दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि

क्या हिमाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का एक राज्य नहीं है? मैं समझता हूं कि यह केंद्र द्वारा प्रदेश को एक तरह से अस्थिर करने की साजिश है। हमारे प्रदेश की सरकार सही तरीके से न चले, उसके लिए रोज़ाना अड़चनें पैदा की जा रही हैं। विपक्ष ने जो आज किया है, हम उसकी निन्दा करते हैं और मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव अभी पेश करें तथा यह निन्दा प्रस्ताव यहां पर पास किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, बोलिए।

05.09.2024/1445/av/**एच के**/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार देखा जाता है कि जब भी सत्ता पक्ष का विधायक बोलता है तो सबसे पहले श्री जय राम ठाकुर जी और श्री रणधीर शर्मा जी बोलने के लिए उठ जाते हैं। यहां पर यह चर्चा हो रही थी कि जो सहायता आसाम, सिक्किम और उत्तराखण्ड को मिल रही है, हमें भी उसी तर्ज़ पर सहायता दी जाए। मगर विपक्ष वाले बाहर चले गए। मैं तो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी को कंफ्यूज्ड बोलूंगा क्योंकि वे हमेशा सनसनी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं कि जोर-जोर से बोलने और सनसनी फैलाने से ज्यादा फायदा होगा। आप जीतिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उनकी बात का जवाब देने के लिए हमारे राजस्व मंत्री जी खड़े हुए तो श्री जय राम ठाकुर जोकि प्रतिपक्ष के नेता है और पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, उनको इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए था। जब वे हमारे बारे में बोल रहे थे तो मैंने कुछ बोलने के लिए आपकी तरफ हाथ खड़ा किया। मगर आपने कहा कि अभी नहीं, इनको बोलने दीजिए और वह आपने एक अच्छी व्यवस्था दी थी। यह चर्चा आपदा पर नहीं हो रही है और आपदा में हमारी सरकार ने यहां पर प्रस्ताव रखा था कि आप भी हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार है, मगर वे इसको कुछ और ही दिशा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल कंफ्यूज्ड नज़र आ रहा है। हम तो आज भी श्री जय राम ठाकुर जी को बोलते हैं कि इसके लिए चलो, मगर हमें मालूम है कि वे नहीं जाएंगे। मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि कुछेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि अधिकार ही नहीं है और मंत्रिमण्डल को नहीं पूछा जाता। अध्यक्ष महोदय, आप इन डैरोगेटरी वर्ड्ज को कार्यवाही से निकालने के आदेश दीजिए। श्री रणधीर शर्मा जी ने सुबह भी (***) शब्द का इस्तेमाल किया था तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी कार्यवाही से निकालने के आदेश दें।

Speaker : All those aspersions against the Hon'ble Chief Minister made by the Opposition is removed from the record.

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

05.09.2024/1445/av/एच के/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा दायित्व हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति है। यह सबसे लम्बा सत्र चल रहा है और इसमें आप संकल्प पर मौका दे रहे हैं। ये लोग उस संकल्प पर नहीं बोले बल्कि आपदा पर बोलने लग गए। यहां आपदा पर चार दिन तक चर्चा हो चुकी है। उस बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया और क्लेरीफाई भी किया क्योंकि हम तो 22000 बोल रहे है और ये 24000 बोल रहे हैं। जिसमें हमारे लगभग तीन-साढ़े तीन हजार फुली डैमेज्ड मकान हैं जिनको हमने 3-3 लाख रुपये की किस्त दी है।

टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
मुख्य मंत्री ... जारी

यह हमने अपनी तरफ से दी है उनकी तरफ से नहीं दी है लेकिन फिर भी आपदा पर ये इस बात को बार-बार कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हों जो प्रदेश के हित में हो तो सभी माननीय सदस्य भी उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलें अन्यथा नियम-63 के तहत आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं उसकी आपको छूट है। यहां सदन में बोलने की जो छूट मिलती है उसका सहारा लेकर ये हर कुछ बोलते हैं। अगर ये सही ढंग से बोलना चाहते हैं तो इनको पढ़कर भी आना चाहिए लेकिन ये सदन में तैयारी करके नहीं आते है। यहां से कागज लेते हैं कि मेरे वीडियो चलनी चाहिए और मेरी अखबार में न्यूज लगनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी उस बात का जवाब दे देंगी तो न्यूज बन जाएगी। इन शब्दों से सनसीन फैला कर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश

के हित का संकल्प नियम-102 के तहत लेकर आए है। आपने सभी को समय दिया, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और उसके बाद इस प्रस्ताव को पास किया जाए लेकिन जब हमने आपदा के लिए स्पेशल पैकेज घोषित करने का प्रस्ताव लाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी उसका विरोध किया और आज भी ये हिमाचल प्रदेश के हितों का विरोध कर रहे हैं। आजकल एक और विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। श्री जय राम ठाकुर जी को बहुत गुस्सा आ रहा है और वे बहुत जोर से बोल रहे हैं। वे एकदम खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी तो शुरू से जोर से बोलते हैं लेकिन वे गुस्सा नहीं होते हैं। इन्हें जोर से बोलने की शुरू से आदत है। लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। उनका यह गुस्सा अच्छा नहीं है। आप उनको अपने चैंबर में बुलाकर समझाइये। वे कहते हैं कि उनकी बात का रिप्लाई देने का मुझे अधिकार नहीं है। इस माननीय सदन में हम ही बोलेंगे और अगर कोई दूसरा बोलेगा तो उसको टोकने का उनको अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी देखता रहता हूं कि जब हम बोल रहे होते हैं तो आप उनको बीच में बोलने का समय दे देते हैं। इसलिए थोड़ा-सा दयालुपन आप सत्तापक्ष की ओर भी करिए। जब भी कभी हिमाचल प्रदेश के हित की बात आती है तो उनका इसी प्रकार का व्यवहार होता है। एक और बात वे एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 बारे में कह रहे थे। लेकिन यह हमारा कांस्टिट्यूशल अधिकार है। यह हमें कोई खैरात नहीं दी है, यह हमारा कांस्टिट्यूशनल राइट है। यह हमें ही

05.09.2024/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

नहीं मिलता है, जहां आपदा आती है। जहां आपदा नहीं भी आती है वहां भी मिलता है। 15वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन्ज है, उनको लेकर, 1500 घरों और पी0एम0जी0एस0वाई0 को लेकर उलटी-सीधी बातें करते हैं। क्या पी0एम0जी0एस0वाई अभी आई है। यह 20 साल पहले आई है। ऐसे विधायक जो दूसरी बात चुनकर आए ऐसी बातें करते हैं। तभी उनको बार-बार चुनने में दिक्कत आती है क्योंकि चुनने के बाद वे सही तरीके से सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको सहनशीलता से अपनी बात रखनी चाहिए और जो संकल्प आया है उस पर अपने विचार रखने चाहिए।

05.09.2024/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बहुत-सारी बातें कही है। विपक्ष का व्यवहार बहुत निंदनीय है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में चर्चा के लिए लगा है। बहुत-सारे इश्यूज राजनीति से ऊपर होते हैं। यह जो नियम-102 के तहत मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है यह राजनीति का विषय नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश हितों की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश के 65 लाख लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यह उसके संदर्भ में है। जब आपदा पर चार दिन तक चर्चा हुई तो उस समय श्री रणधीर शर्मा जी ने भाग नहीं लिया और सदन से बाहर चले गए। अब इनके भाषण से ऐसा प्रतीत हो रहा था, श्री जय राम ठाकुर जी और श्री रणधीर शर्मा जी ने आते ही कहा कि नियम-102 के तहत संकल्प क्यों लगा दिया? जबकि आज प्राइवेट मैंबर-डे था और प्राइवेट मैंबर रेज्योल्यूशन लगने चाहिए थे। इनकी मंशा इसको आज भी टालने की थी और ये चाहते थे कि इस पर चर्चा न हो और आज जब चर्चा हुई तो इनका स्टैंड पता चल गया। श्री रणधीर शर्मा जी ने जाते-जाते क्या बोल दिया कि हम तो विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई सदन में हो रही है और ये कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। इसका मतलब साफ है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन इनको श्री जगत सिंह नेगी जी का बहाना मिल गया। ये तो आपदा में रैवेन्यू विभाग ने क्या काम किया उसकी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

05-09-2024/1455/एन0एस0-वाई0के0/1

संसदीय कार्य मंत्री -----जारी

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा सत्ता में थी जय राम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने में विफल रहे हैं। इसलिए विफल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पांच बार आए और उस समय वर्ष 2017-22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। इन्होंने एक बार भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उस मंच से श्री नरेन्द्र मोदी के सामने नहीं रखा। वहां इनकी जुबान नहीं चलती थी। क्या ये मोदी जी से डरते थे? क्या इनको अपनी कुर्सी प्यारी थी? क्या ये हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई और वित्तीय संकट को कम नहीं करना चाहते थे? यह वित्तीय संकट कोई आज नहीं आया है। हमें वित्तीय संकट विरासत में मिला है। मगर आज जैसा हमने देखा कि

विपक्ष डायरैक्शन लैस है। भारतीय जनता पार्टी दल में इस वक्त कुर्सी और नेतृत्व की लड़ाई हो रही है। कौन आगे जाएगा, यह हम यहां देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी व उप-मुख्य मंत्री जी ने यहां बहुत सारी बातें रखी हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आज विपक्ष का व्यवहार और आचरण है उसको हिमाचल प्रदेश की जनता इस सदन के माध्यम से बाहर देख रही है। जब भी हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई हुई है, हमें खुद याद है कि सब दल एकजुट हुए हैं। जब किन्नौर में आपदा आई और भारी त्रासदी हुई तो इस माननीय सदन में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल मुख्य मंत्री थे और उन्होंने प्रस्ताव लाया तो कांग्रेस पार्टी के पूरे विधायक दल ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस समय माननीय वीरभद्र सिंह जी विपक्ष के नेता थे। जब भी सदन में समय-समय पर ऐसा प्रस्ताव आता था तब कांग्रेस और भाजपा सारा सदन एक होकर उस प्रस्ताव का समर्थन करते थे। आज यह पहली घटना नहीं है। पिछले साल जब हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात आई तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। आज यह दूसरी घटना है जिसमें ये बाहर चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है और जो वाकआउट है, ये हिमाचल विरोधी हैं और यह माननीय सदन उसकी निंदा व भर्त्सना करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस माननीय सदन से इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवाएं।

अध्यक्ष : निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

05-09-2024/1455/एन0एस0-वाई0के0/2

प्रस्ताव स्वीकार

Speaker : Already, I have clarified when Hon'ble Minister Shri Jagat Singh Negi was intervening. I did not allow anybody to speak and nothing has gone on record to that extent. **This, I have already clarified. So there was no need of any mention for that also and if any mention which is undesirable that will also be removed from the record.** Thank you.

Now I would request the Hon'ble Member Shri Bhawani Singh Pathania to take part in the deliberations.

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव किसी के हक का या किसी के हक को मारने का नहीं है। यह सीधा डिस्क्रिमिनेशन का केस है। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है लेकिन यह कुछ रूल्ज के अंतर्गत होता है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के बजट में असम, सिक्किम और उत्तराखंड इन तीनों राज्यों को कहा कि वहां पर जो आपदा आई है और उस के लिए जो सहयोग राशि होगी उसे केंद्र सरकार एक अनुदान के रूप में देगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक ग्रांट है और यह ग्रांट उनको सीधी-सीधी दे देंगे। लेकिन जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उन्हें हम अनुदान नहीं देंगे और उसे आप मल्टीलेटरल एजेंसी से लोन के रूप में लें। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब तीन राज्यों के लिए एक मापदंड लिया है तो चौथे राज्य के लिए आपने दूसरा मापदंड क्यों लिया है? यह भेदभाव का सीधा केस है। आपने देखा है कि पिछलें सत्रों के पहले दो-तीन दिन में जो चर्चाएं चल रही थीं और उनमें जो भी डिस्कशन यहां पर हुई तो भाजपा के सदस्य एक ही बात बोल रहे थे कि आप मोदी जी का धन्यवाद करो तो आपको पैसा देंगे। हमने पूछा कि हम उनका धन्यवाद किस लिए करें, उन्होंने हमें पैसा ही नहीं दिया। इन्होंने हमें गिनाया कि एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1500/RKS/एजी-1

श्री भवानी सिंह पठानिया... जारी

हाइवेज और बाकी सड़कों का पैसा आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर त्रासदी नहीं भी आती तो यह पैसा तो ऑटोमेटिकली हिमाचल को मिलना ही था। चाटूकारिता की प्रकाष्ठा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि जो हमें मिलना था हम उसके लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद करते। हम उनसे भीख मांगेते कि जो हमारा हक है, वह हमें दे दिया जाए। यह भेदभाव तब होता है जब सामने वाला ठान लें कि आप हमारे

जैसे नहीं है इसलिए हम आपको वह सुविधा नहीं देंगे जैसी सुविधा मैं अपने जैसे व्यक्तियों को देता हूं। इतिहास में लिखा है कि ऐसा भेदभाव सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर में यह भेदभाव था कि अगर कोई मेरी टीम का नहीं होगा तो उस पर जजिया कर लगाया जाता था। अगर कोई मेरे जैसा नहीं होगा तो मैं उससे भेदभाव करुंगा। यह आगे तक चलता रहा लेकिन कुछ राज्यों ने इस कर को अडॉप्ट नहीं किया। सन् 1676 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया। अगर तुम मेरी टीम के नहीं हो तो मैं तुमसे भेदभव करूंगा। आज केंद्र सरकार का भी यही व्यवहार है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम कांग्रेस शासित राज्यों को वह सुविधा नहीं देंगे जो हम भारतीय जनता पार्टी या गैर कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों को दे रहे हैं। यह हार्ड कोर डिस्क्रिमिनेशन का केस है। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह हिमाचल प्रदेश की जनता के हित की बात है। यह वही जनता है जिसने चार लोक सभा व 3 राज्य सभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए हैं। लेकिन वे वहां पर अपने मुंह में पट्टियां बांध कर बैठे हैं। उनके मुंह से वहां एक शब्द नहीं निकलता। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वह डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है और इसका प्रभाव हमारी जनता पर डाला जा रहा है। हम इस भेदभाव को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें लेकिन इनकी मंशा कुछ और ही है। जब हमने पिछली बार आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा था तो ये सारे लोग वाकआउट कर गए थे। इनको अपने क्षेत्र में आई त्रासदी से खराब हुई सड़कों व क्षतिग्रस्त घरों को बनाने के लिए तो पैसा चाहिए लेकिन जब केंद्र सरकार से मदद मांगने की बात आती है तो इनके मुंह में पट्टी बंध जाती है क्योंकि ये सारे-के-सारे प्रधान

05.09.2024/1500/RKS/एजी-2

मंत्री से डरते हैं। चाटूकारिता का भय सारी भारतीय जनता पार्टी में है जिसके कारण इनके एम.पी., नेता प्रतिपक्ष व सदस्य कुछ नहीं बोल पाते। आज यहां से बहिर्गमन करने के पीछे इनकी यही मंशा थी। यह पार्टी अपने आपको हिन्दुओं का हितैषी कहती है लेकिन इन्होंने

जो ये हरकत की है उससे यह पार्टी सबसे बड़ी हिन्दु विरोधी पार्टी बन गई है। इसका कारण यह है कि ये सिक्किम, असम और उत्तराखंड को अनुदान दे रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश को कोई राहत राशि जारी नहीं कर रहे हैं। सिक्किम में 58 प्रतिशत, असम में 61 प्रतिशत, उत्तराखंड में 83 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 96 प्रतिशत हिन्दू है फिर ये हमारा हक क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर ये अपने आपको हिन्दुओं का हितैषी कैसे कहते हैं? जो अपनी कोर आइडियोलोजी से मूव हो गया है तो फिर ये किस मुंह से जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। जो बजट की घोषणा हुई है वह बिल्कुल भेदभाव पूर्ण तरीके से की गई है। हम केंद्र सरकार से अपना हक मांगना चाहते हैं और यह हक हिमाचल की जनता को मिलना ही चाहिए। अगर आप उत्तराखंड, सिक्किम और असम को ग्रांट दे सकते हैं तो फिर आपने हिमाचल के लिए अलग भूमिका क्यों बांध रखी है?

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : इस चर्चा में भाग लेने हेतु श्री विपिन सिंह परमार, श्री जीत राम कटवाल, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्रीमती रीना कश्यप और श्री दलीप ठाकुर जी के नाम लिस्टिड थे लेकिन ये माननीय सदस्य अभी सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को लाने का मकसद यह था कि सारा सदन एकजुटता से केंद्र सरकार से अनुरोध करता कि जिस तरह

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1505/बी.एस./ए.जी-1

मुख्य मंत्री जारी...

असम, सिक्किम और उत्तराखंड को राहत दी जा रही है। उसी दृष्टिकोण से हमें भी देखा जाए। हमने इस संबंध में प्रस्ताव लाया और आपने चर्चा के लिए समय दिया। आपने प्रदेश हित को देखा और प्रदेश हित हो आगे रखा और कहा कि गैर सरकारी कार्य सदस्य दिवस के जो अपने प्रस्ताव होते हैं उससे पहले इस प्रस्ताव की महत्ता है और इस प्रस्ताव

की महत्ता पर चर्चा शुरू की गई। इस संबंध में भारतीय जानता पार्टी के आदरणीय जीत राम कटवाल जी का प्रस्ताव पीछे आया था जिसमें पांच लोगों ने चर्चा की लेकिन आपने इसकी गंभीरता को समझा और आपने इसकी चर्चा को शुरू किया। चर्चा हिमाचल के हितों की होनी चाहिए थी वे आपदा पर चले गए। आप किसी और प्रस्ताव पर चर्चा करते, आपदा पर चर्चा करते, हमें उसका दुःख नहीं होता लेकिन प्रदेश हित के प्रस्ताव पर चर्चा न करने की बजाय सदन से बाहर जाना इससे यह पता लगता है कि ये प्रदेश के हित में कोई भी काम नहीं करना चाहते। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां प्रायः भू-स्खलन, बाढ़, बादल फटना, हिम-स्खलन और आगजनी इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का अंदेशा बना रहता है। प्रदेश को इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष नागरिकों के अमूल्य जीवन व करोड़ों रुपये की आधाभूत संरचना का नुकसान झेलना पड़ता है। पूर्व वर्ष 2023-24 मानसून सीजन के दौरान दिनांक 07.07.2023 से 10.07.2023 और 12.08.2023 से 14.08.2023 तक प्रदेश में भारी बारिश, भू-स्खलन, बादल फटने तथा बाढ़ की अनेक घटनाएं घटित हुईं। जिसमें 386 लोगों की अमूल्य जानें चली गईं व कई लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा से सैंकड़ों पशु मारे गए हैं तथा लगभग 24,885 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई बार आंकड़ा ऊपर-नीचे होता है, कई बार पटवारी की रिपोर्ट में भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति का घर डेमेज हुआ है। कई बार मंत्री या मुख्य मंत्री के पास आवेदन आता है कि इस मामले की भी जांच करवाई जाए। उसे भी डेमेज में कंसीडर कर लिया जाता है। इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जिसे नुसान हो रहा है उसे हम देते हैं। 24,885 घर क्षतिग्रस्त हुए थे। जिसमें पक्के, आधे पक्के, झोंपड़ियां व गौशालाएं शामिल हैं। कुल 22,879 परिवार सीधे तौर

पर इस आपदा से प्रभातिव हुए हैं। प्रदेश में इस आपदा से राष्ट्रीय राज मार्गों, ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं व विद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ। इस भारी बारिश के कारण प्रदेश की 8,040 किलोमीटर सड़कें 61,86 किलोमीटर पेयजल आपूर्ति,

पाइप लाइनें व 140 किलोमीटर सिवरेज पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं। इस आपदा पर पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेस्मेंट, हिमाचल प्रदेश मानसून 2023 की रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा से हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्षति व हानि का सम्मिलित आंकड़ा 2,309 करोड़ रुपये का है। जो अभी इस बरसात का आया है। जबकि यह आंकड़ा शिक्षा क्षेत्र में सामुदायिक भवन में क्रमशः 369 करोड़ रुपये, 184 करोड़ रुपये व 37 करोड़ रुपये है। हमारे स्कूल आपदा में बह गए, जो स्वास्थ्य संस्थान थे, जो सामुदायिक भवन थे और जो अन्य सुविधाएं थीं उनका आंकड़ा 369 करोड़ रुपये, 184 करोड़ रुपये व 37 करोड़ रुपये है। इसकी

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

5.09.2024/1510/डी0टी0/ए0एस0-1

मुख्य मंत्री जारी...

क्षति का आंकड़ा क्रमशः 200 करोड़ रुपया, 289 करोड़ रुपया, 53 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया और 264 करोड़ रुपया है। इसकी भरपाई का अनुमान 823 करोड़ रुपया है।

उपरोक्त नुकसान की भरपाई की कुल लागत 9043 करोड़ रुपये है जिसमें Disaster Risk Reduction का अनुमान भी सम्मिलित है। National Disaster Relief Fund के अंतर्गत प्रदेश को कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंड हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी व कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य सड़कों की मरम्मत हेतु, यानी हमारे प्रदेश में सड़क की किसी ने मरम्मत करनी है तो उसके लिए 1.25 लाख रुपया मिलेगा, जिससे हम फुटपाथ बनाते हैं उससे भी कम पैसा रोड बनाने के लिए मिलता है। National Disaster Relief Fund का जो मैनुअल है उसके अनुसार प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता का प्रावधान है जबकि ग्रामीण सड़कों कि मरम्मत के लिए 75000 प्रति किलोमीटर की दर से है। पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदा के कारण मानव जीवन, पशुधन व बुनियादी ढांचे के नुकसान की गम्भीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के मानदंडो में संसोधन करना भी आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन

द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम असम और उत्तराखंड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिये जाने की घोषणा की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश को Multilateral Funding Agency के माध्यम से सहायता दिये जाने की बात की गई है, यानी की या तो विश्व बैंक से पैसा ले लो या ए0डी0बी0 से पैसा ले लो। हम इन दो संस्थाओं से पैसा लेते हैं या हम जायका के द्वारा जो हम पैसा लेते हैं या जो पैसा ए0एफ0डी0 से लेते हैं, उसमें विश्व बैंक से 100 परसेंट ग्रांट नहीं मिलती जो 90:10 के अनुपात के हिसाब से ग्रांट देने की बात की जाती है उस 90:10 अनुपात में 72 प्रतिशत विश्व बैंक से मिलता है और 28 प्रतिशत हमारे प्रदेश के खाते से जाता है। हमें उसकी एश्योरेंस देनी पड़ती है। जहां आपदा अभी आई नहीं है, उत्तरखंड में जब आपदा आई तो 8000 करोड़ रुपये का स्पैशल रिलीफ पैकेज दिया गया। हमारे प्रदेश में तो आपदा से मौतें भी काफी हुईं हैं। ये बातें मैं आपको बताना चाहा रहा हूं। इसलिए हमनें ये संकल्प लाया। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती

5.09.2024/1510/डी0टी0/ए0एस0-2

निर्मला सीतारमन जी से भी मुलकात करूंगा, उनके सामने भी अपनी बात को रखुंगा और कहूंगा कि आपका फंडिंग का पेटर्न क्या होगा? हम विपक्ष की तरह मूकदर्शक नही बने रहेंगे। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई अभी भी लड़ रहें हैं और आगे भी लड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मैं जाकर जो पी0डी0एन0ए0 में हमारा अधिकार बनता है उस बात को पुरजोर तरीके से रखूंगा और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि हमारी बात विपक्ष से अधिक सुनी जायेगी क्योंकि हम तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखेंगे। इसलिए निश्चिततौर पर वे हमारी बात को सुनेंगे। ये हमारा अधिकार है। जो स्टेट-सैंट्रल टेक्सिज होते हैं उनका एक शेयर रखा जाता है। कोई स्पेशल रिलीफ हमें नहीं दिया जा रहा। ये तो हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें External Aided Projects में कुल अनुमानित लागत का वित्त पोषण फंडिंग एजेंसी और स्टेट के बीच में 78:20 के अनुपात में किया जाता है व 80 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार में व राज्य सरकार में 90:10 के अनुपात में की जाती है। अतः राज्य को कुल लागत का 28 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करना होता है और जिसे हम 90:10 का अनुपात कहते हैं।

Multilateral Funding Agency से परियोजनाओं के अनुमोदन में काफी समय लगता है, यानी पहले विश्व बैंक का प्रोजेक्ट बनेगा फिर वो आयेगा

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1515/ए.एस.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री.....जारी

साथ ही राज्य सरकार की वित्त पोषण की सीमा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 6,992 करोड़ रुपये है। हिमाचल प्रदेश द्वारा इस सीमा के भीतर कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित होना शुरु हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए loan agreements शीघ्र sign कर लिए जाएंगे।

अतः इस सीमा के अन्तर्गत HP Disaster Risk Reduction and Preparedness Programme परियोजना वित्त पोषित नहीं की जा सकती है। यदि इस परियोजना को बाह्य सहायता के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है उस स्थिति में किसी अन्य परियोजना को withdraw करना पड़ेगा।

यानि के हमें जो External-Aided Funding आनी है उसमें अपनी परियोजना लेकर यह कह दिया जाए कि इस परियोजना को डाल दिया जाए। हमें तो जो केन्द्रीय मंत्री जी बोल रही थी, उसका तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। उसका क्या फायदा हुआ? इसलिए हम इस संकल्प के माध्यम से कुछ बातें माननीय सदन और विपक्ष के लोगों को बताना चाहते हैं और इसीलिए हम यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि :- "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई

है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।" यह संकल्प मैं माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूं।

05-09-2024/1515/ए.एस.-एन.जी/2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

तो प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

प्रस्ताव स्वीकार

05-09-2024/1515/ए.एस.-एन.जी/3

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत जो विषय आज की कार्यसूची में लगा है, मेरा आग्रह है कि इसे डैफर कर दिया जाए और गैर सरकारी कार्य दिवस के संकल्पों को चर्चा के लिए लगा दिया जाए। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि गैर सरकारी कार्य दिवस के अवसर पर अन्य इश्यूज़ नहीं लगने चाहिएं थे। नियम-102 का विषय तो निरंतरता में चला हुआ था। इसलिए मेरा आग्रह है कि गैर सरकारी कार्य दिवस के संकल्पों को लगा दिया जाए।

Speaker : On the request of the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, we are deferring this issue and now this issue will be listed in the next List of Business. Now I take up the Private Members Day's resolutions. पिछले गैर सरकारी कार्य दिवस में माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल द्वारा निम्नलिखित संकल्प इस माननीय सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था :-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

इस पर आगे चर्चा होनी है। माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी ने इसे प्रस्तुत कर दिया था और उन्होंने आग्रह किया था कि मैं इस पर अगली बार अपने विचार रखूंगा। लेकिन माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी उपस्थित नहीं हैं।

अब माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1520/केएस/डीसी/1

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि " कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।" इसके लिए निर्धारित समय 30 मिनट है। चर्चा इसी में समाप्त होगी उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। अब मैं केवल सिंह पठानिया जी से आग्रह करुंगा कि वे अपना संकल्प विस्तृत रूप में प्रस्तुत करें।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा करने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

हिमाचल प्रदेश जिसको कि वन राज्य के रूप में जाना जाता है और लम्बे समय से प्रत्येक सरकार ने कोशिश की है कि पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को निखारा जाए। मैं खासकर ईको टूरिज्म पर चर्चा करना चाहूंगा जिसके मुख्य बिंदु हैं, मैंने इस प्रस्ताव के ज़रिये ईको टूरिज्म पॉलिसी की बात की है। पर्यावरण संरक्षण, लोकल कस्टम और कल्चर को बढ़ावा देना और हमारे गांव के लोगों की आय किस तरीके से बढ़े, ये इसके मुख्य बिंदु हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण और घने जंगलों के लिए जाना जाता है और खासकर जो हिमाचल के एरिया का 68 परसेंट है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन जंगलों को देखने के लिए ही लोग यहां पर आते हैं। स्विटजरलैंड में तो मैन मेड जंगल हैं परंतु यहां नैचुरल जंगल हैं। चौपाल से शुरू करो, कुल्लू, मनाली, चम्बा, धौलाधार तक बहुत ही सुंदर घाटियां हैं। मैंने लम्बे समय से पर्यटन विभाग में भी काम किया है। मेरा सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ईको टूरिज्म को बढ़ावा दे। एक ईको टूरिज्म पॉलिसी वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश में इस माननीय सदन में लाई गई थी। उस पर काम हुआ। उससे पहले भी 10 साइटें- शोघी, चाबा, डलहौजी, कुल्लू-मनाली आदि 10 साइटों पर ईको टूरिज्म में काम होता था। ECOSOC वहां काम करते थे। शोघी

की साइट को वर्धमान संस्थान ने आउटसोर्स पर लिया था और यह अमोद की प्रॉपर्टी थी। 4 करोड़ रुपये की सालाना

05.09.2024/1520/केएस/डीसी/2

इन्कम हमारे वन विभाग को उस सोसायटी से आती थी। इसी तरह डलहौजी की सोसायटी से आती थी। ईकी टूरिज्म पॉलिसी सरकार ले कर आई और उसके बाद ईको टूरिज्म पॉलिसी वर्ष 2017 में आई और यहां भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय आगे बढ़े। पर्यटन की दृष्टि से जिला कांगड़ा को राजधानी डिक्लेयर किया गया। मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर्यटन की सम्भावना न हो। वह चाहे किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर हो या पौंग डैम हो, कोई ऐसी जगह ही नहीं है, कांगड़ा का धौलाधार, त्रियूंड और खरेरी के ट्रैक हों। चम्बा का मणिमहेश धार्मिक पर्यटक स्थल और साथ-साथ वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरीज़ हैं, इन सभी चीजों को देखने के लिए पर्यटक यहां आते हैं। हिमाचल में इसीलिए पर्यटक आते हैं क्योंकि यहां का पर्यावरण बहुत सुरक्षित है। यही कारण है कि 1 करोड़ 60 लाख के लगभग यहां प्रति वर्ष पर्यटक आते हैं। इन टूरिस्ट्स को जहां धार्मिक ECOSOC को वन विभाग के साथ जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे जो मंदिर हैं, आप किसी भी जिला को लें, बिलासपुर के अंदर अगर नैनादेवी में लोग मत्था टेकने आते हैं तो हमारे वाटर स्पोर्ट्स, ECOSOC के द्वारा सागर डैम में होने चाहिए। इसी तरह से ब्रजेश्वरी, मां ज्वालामुखी, चिंतपुरनी के अंदर और पौंग बांध की जो हमारी इतनी बड़ी सेंक्चुअरी हैं पौंग बांध में ए.डी.बी. ने 17 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.09.2024/1525/av/डी सी/1

श्री केवल सिंह पठानिया----------जारी

पौंग बांध पर 2.44 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है मगर आज वह वीरान बन गए हैं। मैं भलेई माता माथा टेकने गया था। वहां पर चार वर्ष पहले पर्यटन विभाग का 1.44 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिला कांगड़ा में ए0डी0बी0 के अंतर्गत ट्यूलिप गार्डन बना हालांकि वह ट्यूलिप गार्डन नहीं है बल्कि बायो-डोमैस्टिक पार्क है। उस पार्क पर 8.44 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है मगर वहां आज दिन तक एक भी पौधा नहीं लगा है। उसके बारे में आज पयर्टन विभाग और वन विभाग के बीच में लड़ाई चल रही है कि काम कौन करेगा। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ईकोसोक (ECOSOC) बोर्ड बना है। यहां पर भी ईको पॉलिसी बनी है। लेकिन यहां पर भी उसी तर्ज़ पर एक बोर्ड बनाया जाए। इसमें जो पॉलिसी बनी है उसमें पी0सी0सी0एफ0, कंज़र्वेटर और डी0एफ0ओ0 रखे हैं। यह वर्ष 2005 की श्री तरूण कपूर जी द्वारा नोटिफाईड पॉलिसी है। यह पॉलिसी मुख्य मंत्री जी से शुरू होनी चाहिए और इसमें फीडबैक आनी चाहिए। मगर फीड बैक कहां से आनी, इसमें डी0एफ0ओ0 से लेकर गार्ड तक इतने काम है क्योंकि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग यानी हर चीज़ में गार्ड इंवॉल्व है। हम चाहते हैं कि ऊपर से बोर्ड बने और उसके अंतर्गत कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। इन्होंने इस ईको पॉलिसी (हाथ में कॉपी पकड़कर दिखाते हुए कहा।) में यह कहा है कि जहां-जहां पर रैस्ट हाउस हैं, हम वहां-वहां पर पर्यटन को दिखाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कितने लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं। हमारे प्रदेश में अच्छे-अच्छे ट्रैक और जंगल हैं। प्रदेश में दो सौ-दो सौ साल पुराने देवदार हैं। हम अगर उन चीज़ों को पर्यटन की साइट पर लेकर आएंगे तो मैं समझता हूं कि उससे टूरिस्ट भी आकर्षित होगा। ईको फ्रैंडली के लिए पिछली बार जो दस साइट्स बंद हुई थीं। उसमें शिकायत हुई और एफ0सी0ए0 केस बने थे। इसमें डी0जी0 और सचिव(पर्यावरण) ने क्लीयर लिखा है कि अगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह यहां भी ईकोसोक बोर्ड होगा तो there is no need of forest clearance, अगर हम ईको फ्रैंडली टैंट लगाएंगे। यह कर्नाटक और मध्य प्रदेश की पॉलिसी है। माननीय मुख्य

05.09.2024/1525/av/डी सी/12

मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं। मैंने जब मुख्य मंत्री जी को इस बारे में पत्र लिखा तो सचिव (वन) और उनके साथ एक आदमी बेंगलुरु गया। परंतु वह रिपोर्ट आज दिन तक टेबल नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो परंतु योग्य अधिकारी को ही लगाया जाना चाहिए। अगर हम ईको फ्रैंडली पर्यटन का दोहन करेंगे तभी

हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरीके से बोर्ड बना है, उसकी स्टडी करके यहां पर भी बोर्ड का गठन किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर भी सौ साइट्स चिन्हित की हैं। परंतु उसमें भी वही दिक्कत है जो सर्कल स्तर की कमेटी बनाई है उसके चीफ कंज़र्वेटर, डी0एफ0ओ0 और कंसर्निंग अधिकारी सदस्य हैं। वह डी0एफ0ओ0 और कंज़र्वेटर शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर में साल में एक या दो बार बैठेंगे और हम अपने प्रदेश को एक पर्यटन राज्य बनाना चाहते हैं। इस बारे में काम करने की जरूरत है और उनके साथ स्थानीय विधायक, जिला परिषद के प्रतिनिधियों, पंचायत के प्रतिनिधियों, सैल्फ हैल्प ग्रुप और एन0जी0ओ0 इत्यादि को अटैच किया जाना चाहिए ताकि लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले। अगर इन लोगों को इसमें अटैच किया जाता है तो ऑटोमैटिकली, मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं उस दृष्टि से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि त्रियूंड के लिए कंज़र्वेटर(फॉरैस्ट), धर्मशाला ने 200 रुपये की पर्ची लगाई जिससे 50 लाख रुपये एकत्रित हुए। हालांकि उसका विरोध होने पर उसको बाद में 100 रुपये और 50 रुपये किया गया। वह पहला पायलट प्रोजैक्ट है। उसमें चाहे 50 रुपये ही करें तब भी एक दिन में वहां लगभग अढ़ाई-तीन हजार पर्यटक जरूर जाते हैं। इसी तरह से लमडल, करैरी, बल्ह, गुणा माता, नड्डी के साथ लगता गतड़ी इत्यादि एरियाज हैं। इसी तरह से

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री केवल सिंह पठानिया ... जारी

शिमला का चांशल और किन्नौर में बहुत सारे रमणीय स्थल है जिनके लिए ट्रेकिंग रूट की फंडिंग होनी चाहिए और इनका इंडिपेंडेट ईको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारी बहुत-सारी वाइड लाइफ सेंचुअरीज भी है। रेणुका और कालाटोप के अंदर बैटरी से चलने वाली कार चलती है और यदि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो दो-अढ़ाई लाख टूरिस्ट वहां

पर जाता था। वे पर्यावरण को खराब नहीं करते थे, वे जाते थे और वापिस आ जाते थे। यही नहीं हमारी जो नदियां हैं खासकर पौंग बांध और गोविंदसागर में जो इक्टिविटीज होती है उनके लिए भी पैसा आता है। जो बायोडोमेस्टिक पार्क हम आज चला नहीं पा रहे हैं उनका श्री जय राम ठाकुर जी 8 करोड़ रुपये खर्च करके चले गए लेकिन उनके दिमाग में प्लान नहीं थी। वहां पर मुख्य मंत्री जी विजिट करके आए और एक पैसा भी नहीं लगा क्योंकि इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी और आज हम उसको चला नहीं पा रहे हैं। अगर हमने मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह कार्य किया होता तो इसको हम 15 दिनों के भीतर रेग्युलेट कर सकते थे। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में नदियों और बांधों के साथ ऐसे रमणीय स्थल हैं जहां ईको फ्रेंडली एक्टिविटीज करने की जरूरत है। पौंग बांध में जब माइग्रेटरी बड्र्ज आते हैं तो वहां भी इस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती है। वहां एक ट्यूलिप गार्डन तैयार करने में तीन करोड़ रुपया लगा है लेकिन आज वहां आप ऐंट्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी में विवाद चला हुआ है। यही नहीं वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी के तहत Interpretation Centre के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आया था और ज्वाली विधान क्षेत्र के देहरा और लंज के बीच में वह लगभग तीन करोड़ रुपये से बना है। आज अढ़ाई-तीन साल से वह बैरन बन गया है क्योंकि वे अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि इसमें एक्टिविटीज कौन चलाएगा? इसमें एक लीज रखी गई है और मैं चाहता हूं कि यह जो कमेटी है यह headed by Chief Minister हो, district headed senior Minister हो या वहां का लोकल एम0एल0ए0 हो। इसकी पॉलिसी में लिखा है कि सारे विभागों के लोग इसके मैंबर हैं। इस लीज का टाइम दो, पांच, और दस साल रखा है लेकिन इसको दो साल तो कोई चला ही नहीं सकता है क्योंकि जो टेंट लेकर आएगा, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उसको दो साल के लिए लीज मिले। इसलिए इस लीज का समय भी बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें इंवैस्टमेंट बहुत है। इसी तरह से जो आठ करोड़ रुपये

का ट्यूलिप गार्डन है इसको धर्मशाला में शुरू किया जाए। इसी तरीके से हमारी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरीज हैं जैसे कुगती जो कि भरमौर के अंदर पड़ती है, कालाटोप, खजियार, चूड़धार, ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलवाडा नेशनल पार्क

के अलावा लाहौल स्पित में भी ऐसे अनेक पार्क हैं जिनमें एक साल में लगभग 1.60 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। मैं पहले बार जीत कर आया हूं पिछले लम्बे से समय से जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हर मुख्य मंत्री ने कोशिश की है कि हम पर्यटन को बढ़ावा दें और पर्यटन से भी पैसा आया है। आप चाहे इंक्वायरी करवा लो लेकिन जहां-जहां भी एक्सटर्नल एडिड प्रोजैक्ट का पैसा लगा है वह बैरन ही बना है। अगर पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो वन विभाग को ईको फ्रेंड़ली बनाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और बिलासपुर की अलग-अलग धाम बनती है। कुल्लू और मण्डी में अलग-अलग तरह का खाना बनता है। कुल्लू में एक-दो रमणीय स्थल बनाए भी गए हैं। मनाली में जो आउटलेट दिए गए हैं उनसे लाखों रुपया आता है। क्या ये एक्टिविटीज हमीरपुर के अंदर नहीं हो सकती? वहां से ब्यास और सतलुज बहती है और उनके किनारों में भी टूरिज्म को डवलप किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए ईको टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम टूरिज्म को डवलप कर सकें। जो टूरिस्ट धर्मशाला में आता है वह वहां सिर्फ एक दिन रुकता है क्योंकि ट्रैकिंग रूट नहीं है। मैं चाहे कांगड़ा या हमीरपुर की बात करूं, जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। गेट या बिल्डिंग बनाने पर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

05-09-2024/1535/एन0एस0-एच0के0/1

श्री केवल सिंह पठानिया -----जारी

ए0डी0बी0 से भी पैसा आता है तो आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह ईको टूरिज्म बोर्ड बनाएं और इस बोर्ड को पैसा दें। वन विभाग को हम रेस्ट हाउस बनाने के लिए पैसा देते हैं, अगर 40 लाख रुपये में लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस बनाता है तो वन विभाग 10-15 लाख रुपये में रेस्ट हाउस बनाता है और इनको एफ0सी0ए0 भी नहीं लेनी पड़ती है। हमारी बहुत धार्मिक यात्राएं चलती हैं और अगर हमारे पास ट्रैक रूट हों तो उन यात्राओं का शुल्क आप 50 से 100 रुपये रखें। यहां पर डॉ0 जनक राज जी कह रहे थे कि

मणिमहेश यात्रा के लिए एक दिन में 1.87 लाख टूरिस्ट आया जिस दिन वहां बड़ा स्नान था। सरकार चाहती है कि वहां पर शौचालय बने और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डवल्प हो तो आप धरवाला में यात्री शुल्क लगा दो। यह हिंदु स्टेट है। अगर हम होटलों में खाना खाने के बाद 50 से 300 रुपये टिप दे सकते हैं तो अगर मंदिरों में जा रहे हैं तो वहां भी शुल्क दे सकते हैं ताकि अगली बार वहां पर सुविधा मिले। मैं कहना चाहता हूं कि कौन टूरिस्ट होगा जो इतनी दूर से आ रहा है और वह यात्री शुल्क नहीं देगा। आप उससे 100 रुपये लेकर उसी से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डवल्प कर सकते हैं। ये मेरे कुछेक मुख्य बिंदु थे।

सभापति महोदय, अब मैं वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरि के बारे में बोलना चाहता हूं। प्रदेश में भी इसके लिए वेबसाइट लाँच की जाए। हिमाचल प्रदेश के जंगलों और ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क में कितनी ट्रेकिंग है, उसको वेबसाइट में दिखाया जाए। वहां पर स्नो लैपर्ड, मोनाल को भी दिखाया जाए। बनखंडी में मुख्य मंत्री जी जो चिड़िया घर बनाने जा रहे हैं, यह इनका बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के छोटे-छोट बड़े रमणीय स्थल हैं और इनको डवल्प करने की जरूरत है तथा ये तभी डवल्प होंगे जब इनमें कुछ काम होगा। लेकिन इस पॉलिसी से डवल्प नहीं होंगे क्योंकि यह कागजी पॉलिसी है। आज दिन तक पॉलिसी ही बनी और कुछ काम नहीं हुआ। जो पैसा पर्यटन की दृष्टि से आता है उसके लिए ईको बोर्ड बनाया जाए। इस बोर्ड के डायरेक्टर उनको लगाएं जो पर्यटन, वाइल्ड लाइफ, कंजरवेशन और जंगल के बारे मे ज्ञान रखते हों और ईको फ्रैंडली हों। ऐसा न हो कि आप ऐसे आदमी को लगा दें जो दराट पकड़ने वाला हो। मैं जानता हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या बाहर के लोग हैं जब ईको पॉलिसी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम जंगल के अंदर

05-09-2024/1535/एन0एस0-एच0के0/2

एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? वे चाहते हैं कि हमें जंगल के अंदर जाने का लाइसेंस मिले। इसलिए यह क्रिस्टल क्लीयर होना चाहिए। अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो 2-3 देवदार के पेड़ भी आ जाएंगे और इस तरीके से भी लोग सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे बोर्ड बने हुए हैं और कर्नाटक के बोर्ड की एक साल की इंकम लगभग 150 करोड़ रुपये होगी। यहां पर माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी बैठे हैं,

मुख्य मंत्री जी और मैंने रिक्वेस्ट की कि वहां पर किसी अधिकारी को भेज कर रिपोर्ट ली जाए लेकिन आज दिन तक उस अधिकारी की रिपोर्ट नहीं आई। अधिकारी आज सचिव, वन हैं तो कल सचिव, लोक निर्माण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि परमानेंट कौन हैं? जो परमानेंट है वही इसको एग्जिक्यूट कर सकता है। हमें व्यावहारिक विषय पर बात करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आपके ज्वालामुखी में चंदन के पेड़ हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। यहां बैठे माननीय सदस्यों में से बहुत कम लोगों ने चंदन का जंगल देखा होगा। लेकिन इसको वेबसाइट पर डालने की आवश्यकता है। लोग ज्वालामुखी मंदिर में आते हैं। रामायण और महाभारत में भी कहा गया है कि चंदन के पेड़ पर सांप लटके रहते थे और उस चंदन के पेड़ ज्वालामुखी में हैं। तब जाकर टूरिस्ट एक दिन का नाइट हॉल्ट वहां करेगा, गाड़ी लेकर जाएगा और चंदन के पेड़ देख कर आएगा। हमने चंदन के पेड़ नहीं देखे तो अगली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे कि चंदन के पेड़ क्या होते हैं। चंदन के पेड़ वहीं देखे जब अंतिम यात्रा पर जाते हैं। तब कहते हैं कि चंदन पता नहीं कैसा होता है? अंतिम यात्रा में चंदन के नाम पर जो लकड़ी दे दी, वह डाल दी। बाजार में आजकल पुराने समय की चंदन की लकड़ी नहीं आ रही है। पुराने बुजुर्ग हाथ लगाते ही पता लगा लेते थे। वे जब किसी के मरने पर लकड़ी डालने जाते हैं तो वे पहचान लेते हैं कि ये चंदन की लकड़ी है या नहीं। सभापति महोदय, न केवल रेस्ट हाउस बल्कि अन्य जगहों में जहां ट्रेकिंग रूट्स हैं उनको डवल्प करने की जरूरत है। आजकल नौजवान सब कुछ ऑनलाइन देखता है। मेरे क्षेत्र में करेरी झील के लिए रास्ता ठीक नहीं है। तब भी एक दिन में 4 घंटे का ट्रैक है। वहां पर 500 से 1000 आदमी जाता है। कांगड़ा में पर्यटन को डवल्प करने के लिए पैसा कहां लग रहा है? मुझे विधायक बने हुए 18 महीने का समय हो गया है। मैं सच्चाई कह रहा हूं। अगर किसी को शौक होता तो यह पैसा लगता।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1540/RKS/वाईके-1

श्री केवल सिंह पठानिया... जारी

यह हैलीपोर्ट तभी सक्सैस होंगे जब पर्यटकों को खजियार, कालाटोप, मणिमहेश, बिलासपुर या हमीरपुर में हैलीपोर्ट्स की सुविधा मिलेगी। हम हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को सबसे ज्यादा जंगलों का सौंदर्यकरण ही दिखा सकते हैं। यहां पर काफी जड़ी-बुटियां भी हैं। हिमाचल प्रदेश से माइनर फोरेस्ट में कम-से-कम 50 प्रतिशत रॉ-मटिरिअल अमृतसर जाता है। जब वे लोग वहां से माइग्रेट हुए थे तो उस समय उनकी स्थिति कुछ और थी लेकिन आज उनके पास काफी बड़ी-बड़ी गाड़ियां है। माइनर फोरस्ट में कुल्लू व चम्बा फोरेस्ट सर्किल सबसे रिच हैं। मेरा आग्रह है कि जो आप एंटर करने की पॉलिसी बना रहे हैं उसमें माइनर फोरेस्ट को भी जोड़ा जाया। हमें जितनी आय एक्साइज से होती है उतनी माइनर फोरेस्ट से भी हो सकती है। मैं इस वन निगम का वाइस चेयरमैन रहा हूं। 42 क्रशर्ज स्थापित करने की परमिशन वन विभाग ने ही दी है इसलिए मैं कह सकता हूं कि 80 प्रतिशत माइनिंग डेफिनेशन ऑफ फोरेस्ट यही है। फिशरीज वाले वन विभाग से पोंड बनाने की अनुमति लेते हैं ये सारे काम तो चल पड़ेंगे लेकिन जब वन विभाग वाले कहेंगे कि हम ये एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वही अधिकारी फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 तुरंत लगा देते हैं। पर्यटक तभी हिमाचल प्रदेश आएंगे जब हम इस पॉलिसी को क्रिस्टल क्लीयर बनाएंगे। जो ए.डी.बी. का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह 80 प्रतिशत वैसे-का-वैसा खड़ा है। आज नहीं तो कल यह इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म ईको बोर्ड को देना पड़ेगा तभी जाकर हम आगे एक्टिविटी कर सकते हैं। हमें जंगलों का सही तरीके से दोहन करना होगा ताकि हम अपने पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। हम जंगलों का काट नहीं सकते हैं। वनों के कारण हमारा प्रदेश नार्थ जोन का लंग्स है। हम चंडीगढ़ या दिल्ली को अच्छा पर्यावरण दे रहे हैं। हमें इस पर्यावरण को इस नीति के साथ जोड़ना चाहिए। टूरिस्ट ज्यादा दिन तभी ठहरेंगे जब उन्हें यहां अच्छी व्यवस्था मिलेगी। पर्यटकों के आने से हमारी जी.एस.टी. में भी बढ़ोतरी होती है। अगर यहां पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी तो पर्यटक मंदिरों में माथा टेक कर वापिस चले जाते हैं। अगर हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक्टिविटी शुरू करेंगे तभी हम पर्यटन का बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हमारी पॉलिसी क्रिस्टल क्लीयर होगी तभी पर्यटक यहां आएंगे। जो पॉलिसी बनी है अगर हम उसी पर काम करें तो यहां कोई भी टूरिस्ट नहीं आ सकता। जो क्रिस्टल

05.09.2024/1540/RKS/वाईके-2

पॉलिसी बनी है उसके तहत साल में एक मीटिंग होती है। यह पॉलिसी उस वक्त बनी है जब श्रीमान तरुण कपूर जी सचिव वन थे। अब वे केंद्र में प्रधान मंत्री जी के सलाहकार है। मुझे भी वन निगम में पांच वर्ष काम करने का मौका मिला था। हम पर्यावरण के साथ पर्यटक को कैसे जोड़ें इस पर काम करने की आवश्यकता है। जो जंगल लगाने वाले और काटने वाले हैं हमें उन्हें इसमें इंवोल्व नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसके लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड बनें। मैंने देखा है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सी.ई.ओ., चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, एग्जिक्यूटिव कमेटी अलग-अलग है। कर्नाटक के बोर्ड का चेयरमैन मेरा दोस्त है। अब वे इस क्षेत्र में अच्छी तरह एस्टाब्लिश्ड हो गए हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंदिर, नदियां और डैम पॉलिसी में जोड़े हैं। मैं चाहूंगा कि यहां भी क्रिस्टल क्लीयर नीति लाई जाए ताकि हम पूरे हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राजधानी बना सके। हम चाहते हैं कि यहां पर काफी टूरिस्ट आए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापित : अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

05.09.2024/1540/RKS/वाईके-3

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (मुख्य संसदीय सचिव) : सभापति महोदय, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1545/बी.एस./वाई के-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

सभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। वैसे तो माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने सारी बातें विस्तार से कर दी हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा जहां तक ईको-टूरिज्म और वन संरक्षण नियम की बात आती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज पर्यटन की दृष्टि से यदि में पूरे प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत प्रदेश है। चाहे यहां के पहाड़ों की बात है, चाहे मैदानी इलाकों की बात है और हम देवी-देवताओं पर विश्वास रखते हैं। हमारा प्रदेश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर बहुत से पर्यटक भी आते हैं और जहां तक माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी लाने की बहुत आवश्यकता है। इससे हमारे प्रदेश के जो स्थानीय नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। मैं थोड़ा सा और एड करना चाहूंगा कि पॉलिसी तो बननी चाहिए और इस पर पॉलिसी बनी भी है परंतु यह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि आगे इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमारी दूसरी और भी बातें हैं जैसे रोड हमारे अच्छे हों, यदि हमारे रोड ठीक नहीं होंगे तो पर्यटक कम आएंगे। इसके साथ-साथ शौचालय की भी बात की गई। हम देखते हैं कि जब हम शिमला से दिल्ली की तरफ जाएं तो रास्ते में हमें शौचालय बहुत कम मिलते हैं। मेरे ख्याल से कुछ एक स्टेशनों में ही होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आदरणीय सदस्य ने चांशल की बात भी कही। चांशल एक बहुत खूबसूरत जगह है। सभी सरकारों ने इसे डवलप करने की कोशिश की है। परंतु आज तक हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। यह स्थान छह महीने तक बर्फ से ढका रहता है। बहुत सारे लोग गर्मियों में वहां पर जाते हैं, खासकर अप्रैल माह में बहुत सारे पर्यटक वहां पर जाते हैं। वहां के लिए सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं बनी न ही कोई प्रशासन की ओर से वहां पर कोई सुविधा है। वहां बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और लोग सड़कों में ही खराब पीने बैठ जाते हैं और खाने-पीने की चीजें शुरू कर देते हैं। इसके लिए कोई भी रोक-थाम वहां नहीं है जिससे वहां की सुन्दर को नुकसान हो रहा है। इसलिए चांशल को डवलप करके हमें बहुत सारा लाभ होगा। पर्यटन की दृष्टि से इस स्थान को डवलप करने की बहुत आवश्यकता है।

05.09.2024/1545/बी.एस./वाई के-2

ईको-टूरिज्म की दृष्टि से जो माननीय सदस्य ने बात की उससे बेरोजकारों को भी फायदा होगा। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं अगर हम मंदिरों की बात करें तो लोग हाटकोटी मंदिर भी जाते हैं। यह रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई चुनाव क्षेत्र की सीमा पर है। वहां से लोग चांशल भी जाते हैं। यदि मैं रोड़ की बात करूं तो वहां पर आज रोड की स्थति इतनी इच्छी नहीं है। उसे सुधाने की आवश्यता है। मैं इसी में एड करने जा रहा हूं । वहां पर रेस्ट हाउस की भी आवश्कता है। हमें अच्छे रेस्ट हाउस मिले अच्छी सुविधाएं मिले तो पर्यटक वहां जाना चाहेगा। वहां के लोकल व्यंजन हैं, पीने की चीजें हैं या दूसरी बातें हैं उन्हें फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में कई बाते हैं। हमारे पिछले खान-पान की बात आती है या पकवान की बात आती है, इन्हें फिर से लोगों के बीच में लाने की आवश्यता है अन्यथा ये सभी चीजें धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

5.09.2024/1550/डी0टी0/ए0एस0-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव जारी...

अगर मैं अपनी निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं वहां पर ये चीजे दोबरा रिवाइव होने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मैं चांसल की बात करूं या मैं चंद्रनान की बात करूं, जहां से होकर हम किन्नौर के लिए जाते हैं, वहां से पर्यटक भी जाते हैं, उस रास्तें में ट्रेकिंग भी होती है, ये बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि जो हमार पर्यटन स्थल हैं उसमें चाहे चंद्रनान है चाहे कालका पटटन है, उनके लिए पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों की बात कर रहा हूं। प्रदेश की बात तो हमारे माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ने की है। हम चाहे मनाली की बात करें, चाहें हम मंडी की बात करें या हम कांगड़ा की बात करें या सोलन की बात करें, चाहें किसी अन्य जिलों की बात करें, हर जगह पर्यटन स्थल हैं। पर मैं अपने आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक ही कन्फाइंड करना चाहूंगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोरालडंडा और सुंगरी जैसे खूबसूरत स्थल हैं। सुंगरी का नाम शायद यहां उपस्थित माननीय सदस्यों ने पहली बात सुना होगा लेकिन मैं इस स्थान के बारे में कहना चाहूंगा कि ये स्थान हमारे तीन निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ता है। ये नारकंडा, बागी, खदराला, रामपुर, जुब्बल-कोटखाई व रोहडू हैं। सुंगरी की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जवाहर लाल

नेहरू जी भी सुंगरी आये थे। उनके साथ स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भी आईं थीं। ये काफी पुरानी बात है। मुझे सटीक वर्ष का तो मालूम नहीं है। उस वक्त का ये पुराना रोड है। ये रोड खदराला, रामपुर, रोहडू और जुब्बल-कोटखाई यानी तीन निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ता है। वहां पर वन विभाग का एक बहुत पुराना रेस्ट हाउस भी है। लेकिन जहां पर जवाहर लाल नेहरू जी और इन्दिरा गांधी जी ठहरे थे वह लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस था। आजकल तो रेस्ट हाउसिज की स्थिति थोड़ी सुधार दी गई है। अगर मैं उस रोड की बात करूं तो मैं उसके लिए हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस रोड में 14 किलोमीटर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बाउंड्री आती है, एक साइड रामपुर की बाउंड्री और एक साइड जुब्बल-कोटखाई की बाउंड्री पड़ती है, लोक निर्माण मंत्री जी ने इस रोड में टारिंग करवाई जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी लाभ हुआ। क्योंकि इस रोड की टारिंग रामपुर और जुब्बल की तरफ तो कर दी गई थी परंतु मेरे क्षेत्र में इस सड़क की टारिंग नहीं हुई थी। इसलिए मैं लोक निर्माण मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सेब तो इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कुछ दशक पहले ही लगाने शुरू किये गये लेकिन उससे पहले इस क्षेत्र के लोग आलु की

खेती करते थे। आलु के व्यापार के लिए सुंगरी मेन स्टेशन होता था। जब सेब पैदावार इन क्षेत्रों में होने लगी तो उसमें चाहे वह सेब चौहार से आता था, चाहे रामपुर से आता था वह खच्चर के माध्यम से सुंगरी लाया जाता था। हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि पहले खच्चरों की कमी होती थी इसलिए उस समय लोग बकरों में भी आलु ढोह कर लाते थे। पहले सुंगरी इन सभी कामों का एक मेन स्टेशन होता था, क्योंकि वहां से व्यापार बहुत होता था। ऐसे-ऐसे कई स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं जहां पर पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनायें हैं। डोडरा-क्वार की अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्र भी टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। चांसल घाटी तो छः महीने बंद रहती था। मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि चांसल घाटी के लिए या तो सुरंग बना दो अगर सुरंग बनाने में समय लगता है तो पर्यटकों को वहां जाने के लिए कोई अन्य प्रबंध किया जाये। हमारे प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जिन्हें टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। इसमें चाहे हम इको-टूरिज्म की बात करें , चाहें वन संरक्षण की बात हो। प्रदेश में कई स्थानों में जू भी स्थापित किए जा सकतें है यानी पर्यटन

को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। वह पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे न तो स्थानीय लोगों को नुकसान हो और न किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या आये। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अभी तक पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाया है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा.....जारी

बावजूद इसके, मैंने रोहडू विधान सभा क्षेत्र के 4-5 स्थान रैफर किए हैं, उसमें चाहे सुंगरी है, चाहे मोराल डंडा है, चाहे कालका पटन है और चाहे चांशल है, ऐसे स्पॉट्स को डवलप करने की आवश्यकता है। ईको टूरिज्म पर पॉलिसी बनाने के लिए माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे", मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

समाप्त/-

05-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जी भाग लेंगे।

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने बहुत अच्छा संकल्प लाया है। मैं कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर

ईको टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा गोविंद सागर डैम मौजूद है। काफी समय से ईको टूरिज्म की बात चलती आ रही है। ईको टूरिज्म के संदर्भ में पहले भी बात की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईको टूरिज्म पर ज्यादा काम किया जाएगा। ताकि हमारे युवाओं को भी इसमें काम करने का मौका मिल सके। मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा उनको मदद की जाए और इसके लिए उन्हें सरकारी लैंड लीज़ पर दी जा सकती है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि युवाओं को कैसे रोजगार प्रदान किया जाए। आज के समय में प्रदेश सरकार भी हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देना चाह रही है। मैं समझता हूं कि ईको टूरिज्म भी इसके लिए एक माध्यम है। कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र में गोविंद सागर डैम एक ऐसा स्थान है जहां पर सरकार द्वारा ईको टूरिज्म की दृष्टि से कार्य किया जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। उस डैम के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी है और वहां पर लोग दूर-दूर से आते हैं। आज कल प्री वेडिंग शूट्स का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पूर्व में पर्यटन विभाग ने ईको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत सारी साइट्स बनाई हैं। वहां पर जंगल का बहुत सारा ऐरिया खाली पड़ा हुआ है जहां हम इस पॉलिसी के माध्यम से ईको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जब हम जंगलों के संरक्षण की बात करते हैं तो इससे उनका संरक्षण करने में भी मदद मिल सकती है। जब हम चण्डीगढ़ रोड पर जाते हैं तो वहां अमोद नाम का एक स्पोट बना हुआ है, इसके अलावा भी काफी स्पोट बने हुए हैं जिनमें बाहर से लोग घूमने आते हैं।

माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया अभी कह रहे थे कि हमारे यहां पर लोग आते तो हैं लेकिन जब उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती तो वे वापिस चले जाते हैं।

05-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/3

आज यदि हम ऐसी जगहों को विकसित करते हैं जिनमें लोग आएं व घूम कर जाएं तो उससे उस स्थान का भी फायदा होगा और वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार को ईको टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इस पर बहुत समय से विभिन्न सरकारों में चर्चा चलती रहती है लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर आगे बढ़ कर एक पॉलिसी का निर्माण किया जाए। हमारे जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं

उनको लीज़ पर जगह दी जाए ताकि उन्हें वहां पर छोटा-मोटा काम करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।

समाप्त/-

05-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/4

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विनोद सुल्तानपुरी जी भाग लेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने एक संकल्प रखा कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे"। मैं समझता हूं कि यह एक लैंड मार्क संकल्प है और इसके द्वारा हमारे प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने में भी मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो नीति बनाई जानी है तो यह संकल्प भी उसका हिस्सा हो।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

05.09.2024/1600/केएस/एएस/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी---

मैं जब खुद कसौली चुनाव क्षेत्र में देखता हूं, हमारे टूरिस्ट लोकेशन्ज़ में जो फोरैस्ट कवर हैं, उसमें पहले चेवा और सनवारा में, सनावर के पास एक केंप था। मेरे घर के साथ भी एक नेचर ट्रेल था। इन ट्रेल्ज़ में जब हम काम देखते हैं, सही में देखा जाए तो ये ईको टूरिज्म से बहुत भिन्न थीं। अलग तरह की गतिविधियों में उनके काम करने की वर्किंग एप्रोच रही। बड़ी-बड़ी लाइटें और बहुत ज्यादा शोर-शराबा वहां पर होता रहा। क्योंकि जिस तरह का

टूरिज्म हम इसमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं केवल सिंह पठानिया जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। इन्होंने स्नो लैपर्ड का ज़िक्र किया। लद्दाख में मेरे स्टनजन गुरमीत नाम से एक दोस्त हैं जो कि स्नो लैपर्ड के एक्सपर्ट हैं। वे विंटर के समय टूरिस्ट को स्नो लैपर्ड दिखाने ले जाते हैं, लगभग 12 दिन का वह टूअर होता है और वे स्नो लैपर्ड की स्पॉटिंग के एक्सपर्ट हैं। एक आदमी से कम से 12 लाख से 18 लाख रुपये तक का उनका पैकेज होता है। उनकी अर्निंग कितनी अच्छी है। उन्होंने एक नियम बनाया है कि जब भी कोई फोरैस्ट में वैंचर करना चाहता है उसके लिए एक पास का प्रावधान होता है जिसके लिए लगभग सालों लग जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा फोरैस्ट कवर्ज़ के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए और जो वहां पर टूरिस्ट जाता है वह बड़े सभ्य तरीके से वहां पर जाए। हमारे जो केंप्स होते हैं, उनमें अधिकांश देखा गया है कि हमारे लोग जो बाहर से प्लुटन्स ले कर आते हैं, इस तरह की चीजों में हमें बड़ी कॉंशियसली काम करना है। मैं समझता हूं कि इसमें अपार सम्भावनाएं हैं। हमारे बच्चों को फोरैस्ट एरिया में जाने के लिए एजुकेट करने के लिए ईको टूरिज्म बहुत काम आएगा। हमें अपने फोरैस्ट कवर्ज़ को किस तरह से प्रिज़र्व करना है और वहां की हमारी जड़ी-बूटियों की नॉलेज हम अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे तो फोरैस्ट से जिस तरह से हमारे बुजुर्ग प्यार करते थे, उसके साथ रहकर हमारे बच्चों को भी नॉलेज होगी और आने वाले समय में हमारे बच्चे फोरैस्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखने वाले होंगे। मैं देखता हूं कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, टूरिस्ट प्वाइंट ऑफ व्यू से आज पौंग डैम के बारे में भी चर्चा हुई और उसमें जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन्ज़ लगाई गई हैं, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। टूरिज्म फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की ये रिस्ट्रिक्शन्ज़ हैं, एक तरफ माइनिंग तो चल रही है लेकिन दूसरी तरफ जब टूरिज्म की बात आती

05.09.2024/1600/केएस/एएस/2

है तो मैं देखता हूं कि उसके लिए हमेशा कहीं न कहीं एक प्रश्नचिन्ह लगता है। मेरे कसौली विधान सभा क्षेत्र में कुछ इलाके अंग्रेजों के समय के ट्रेल्ज़ हैं। उनमें फोरेस्ट कवर के अंदर से साइकलिंग का एक तरीका बन सकता है और इन ट्रेल्ज़ के लिए स्पैसिफिक फंड

सरकार को निर्धारित करना चाहिए। इससे हमारे लोगों को बहुत अच्छी आमदनी होगी। हमारे ट्रेडिशनल पकवान इस ट्रेल के बीच में सर्व करने चाहिए। हमारे अलग-अलग जिलों के डांसिज़ का आयोजन होना चाहिए। बड़े-बड़े डी.जे. सिस्टम और बड़ी-बड़ी लाइटें लगाना, मैं समझता हूं कि यह फोरैस्ट के साथ अन्याय है। जब हम जंगल में जा रहे हैं तो वहां के राजा वहां के वासी होते हैं। हमें उनके साथ इकट्ठा रहकर, उन्हें प्रिज़र्व करते हुए अपने इलाके की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए।

सभापति महोदय, इसमें लीज़ का जो टाइम पीरियड है,उसके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से अभी हम हर जगह काँकरीट के ऊपर जा रहे हैं,

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी---

05.09.2024/1605/av/एएस/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी----------जारी

हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। हमारे पुराने घर मिट्टी से बने होते थे। हमें इस प्वाइंट ऑफ व्यू से लद्दाख का प्रवास भी करना चाहिए क्याकि उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत प्रिज़र्व करके रखा है। मैं माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी को इस संकल्प को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने हिमाचल के हित से जुड़ा एक बहुत अच्छा संकल्प लाया है। मैं मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि प्रदेश में 'पर्यटन' रोज़गार पैदा करने के लिए कारगर साबित होगा। पर्यटन आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए रोज़गार का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। धन्यवाद।

05.09.2024/1605/av/एएस/2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी द्वारा लाया गया संकल्प कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को

बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे, इस संदर्भ में मैं भी कुछ बातें माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

यदि पूरे प्रदेश के वनों की बात की जाए तो जियोग्राफिकली हमारे लगभग 60 प्रतिशत एरिया में जंगल हैं। हमारे वनों का संरक्षण करने की कोशिश समय-समय पर रहीं सभी सरकारों द्वारा की गई। वर्तमान में प्रदेश में पिछले 20 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वनों के अवैध कटान की बात की जाए या उस पर हो रहे अतिक्रमण की बात की जाए तो इसके लिए बने नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु बने निगरानी तंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। मेरा इंदौरा विधान सभा क्षेत्र पूरा-का-पूरा पंजाब बोर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है। अगर मैं अवैध कटान की बात करूं तो समाचार पत्रों और हमारे स्थानीय युवाओं के माध्यम से ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। वैसे तो हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 20 माह के कार्यकाल में अवैध कटान पर काफी कार्रवाई की गई है। लेकिन मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि हमारे बोर्डर एरियाज में इसको और ज्यादा सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ, हमने यह भी देखा है कि जिन-जिन क्षेत्रों में खैर या दूसरे पेड़ों का कटान खुलता है, वहां पर वास्तव में जिन पेड़ों की परमिशन ली होती है वे खड़े-के-खड़े रहते हैं और उनकी जगह दूसरे पेड़ अन्धाधुन्ध काट दिए जाते हैं। मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कोई ठोस नीति बननी चाहिए। हमें वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ-साथ वन संसाधनों के उपयोग और वहां के स्थानीय समुदायों हेतु प्रशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। हम और हमारी सरकार इस उद्देश्य को पूर्ण करने में तभी सफल होंगे। इसके साथ-साथ स्थानीय प्रजातियों के पौधों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

05.09.2024/1610/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री मलेंद्र राजन... जारी

स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में भी वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरुकता शिविर लगाए जाने चाहिए और कार्यशालाओं का आयोजन करके सोसाइटी के बीच जागरुकता फैलानी चाहिए। यहां पर इस संकल्प के माध्यम से ईको टूरिज्म की बात की गई है। मुख्य मंत्री जी प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा का कंसैप्ट लेकर आए हैं और इसके भी प्रदेश के अंदर दूरगामी परिणाम होंगे। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों को इसके माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। यदि पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं के बारे में अवगत करवाया जाए तो इससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जगह-जगह पर ईको पार्क बन रहे हैं इनको भी डवलप करने की जरूरत है। इससे आने वाले समय में बॉर्डर या अन्य क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। जिस मंशा के साथ माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी इस संकल्प को लेकर आए हैं, यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर इसके दूरगामी परिणाम होंगे अगर मुख्य मंत्री जी इस पर कोई ठोस पॉलिसी लेकर आते हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब मुख्य मंत्री महोदय, इस चर्चा का उत्तर देंगे।

05.09.2024/1610/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, श्री केवल सिंह पठानिया जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।" मैं इस संकल्प के बारे में माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि वन संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश 2023 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भारत सरकार द्वारा 25 अक्तूबर 1980 को लागू किया गया था। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका 1992 में जारी की गई। वन संरक्षण अधिनियम,1980 भारतीय वन नीति और वन संसाधनों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। इस अधिनियम का उद्देश्य वन

क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और अवैध वनों की कटाई को रोकना है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं कर सकता या वनों की कटाई नहीं कर सकता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को वनों के संरक्षण के लिए जिम्मेवार ठहराता है और केन्द्रिय सरकार को भी निगरानी रखने का अधिकार देता है।

ईको टूरिज्म नीति के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2001 से ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा ईको टूरिज्म नीति 2001 बनाई गई थी जिसे वर्ष 2005, 2015, 2016 और 2017 में संशोधित किया गया। हिमाचल प्रदेश ईको टूरिज्म पॉलिसी 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अनेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

सभापति महोदय इससे पहले मैं ईको टूरिज्म के बारे में बोलूं, श्री केवल सिंह पठानिया, श्री मलेंद्र राजन, श्री विवेक शर्मा, श्री विनोद सुल्तानपुरी और मुख्य संसदीय सचिव, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी ने यहां काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश की 69 प्रतिशत भूमि वन भूमि है और ईको टूरिज्म के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी

05-09-2024/1615/एन0एस0-डी0सी0/1

मुख्य मंत्री -----जारी

पॉलिसी में थोड़ी अड़चनें हैं और उनको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। जब मेरी पिछली मीटिंग्ज हुई थीं, तब मैंने टारगेट रखा था कि हमें ईको टूरिज्म की साइट्स का विज्ञापन प्रकाशित करना है और उसके बाद उसके रिजर्व प्राइस के ऊपर बोली बोलनी है। हमारी परियोजनाएं जो एक हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हैं और इसकी पिछले कल ही मेरे पास एक फाइल आई थी जिसमें 6 परियोजनाएं शामिल हैं। उनमें से पोटर हिल्ज की 3-4 परियोजनाएं हैं और उसमें हमें 30 लाख रुपये, 35 लाख रुपये और 40 लाख रुपये मिल रहे हैं। जो पौंग बांध के साथ वाली साइट्स हैं और श्री केवल सिंह पठानिया जी की करेरी

झील के जंगल वाली साइट्स हैं तो ऐसे कई अनछूए स्थान हैं जहां पर ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता टूरिज्म है और ईको टूरिज्म भी उसका एक पार्ट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अड़चनें कहां से आती हैं? धर्मशाला में 12 करोड़ रुपये का ट्यूलिप गार्डन बनाया। मैं और मुख्य सचिव इस गार्डन को देखने गए। हमने फैसला किया कि इस गार्डन को टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देते हैं। मैंने उसके लिए मीटिंग बुलाई और कहा कि 12 करोड़ रुपये आप चार सालों से लगाकर बैठे हो और इसका ईको टूरिज्म सोसायटी के माध्यम से टूरिज्म डवल्पमेंट कॉर्पोरेशन से एग्रीमैंट करवाया। अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहें हैं। अगर हम इसको ईको टूरिज्म पॉलिसी के तहत शुरू में कर देते तो आज काफी इंकम होती। आपने जो 17 संपत्तियां बताई हैं और जब मैं मुख्य मंत्री बना, तब मैंने इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई तो मुझे पता लगा कि कई स्थान जो वन क्षेत्र हैं उन्हीं में ए0डी0बी0 का पैसा लग चुका है। आज भी बिल्डिंग्ज खाली हैं। ईको टूरिज्म में अगर देखा जाए तो बिग हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिल्ज के नाम से रेंजिज जानी जाती हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वाटर बॉडीज हैं तथा इनके किनारे जो रिवर बैड होते हैं तो उनमें हम ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं अभी रायपुर मैदान में सोलर पॉवर प्रोजैक्ट का शिलान्यास करने गया था। वहां पर श्री विवेक शर्मा जी डिप्टी कमिश्नर हैं और हमने देखा कि गोविंद सागर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। हमारी मोटर वोट वहां पर रूकी और पैदल चढ़ा तो देखा कि 300 बीघे का एक आइलैंड है। हम नैचुरल झील को नहीं देखते और उदयपुर पैलेस देखने चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे

कई पैलेस हैं। मैंने अपने फोन में ही कई बार ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोज बनाई हैं। जब किसी को दिखाता हूं तो कहते हैं कि बहुत सुन्दर हैं। उसमें अड़चन क्या है? ये फोरेस्ट की हैं। अगर हम ईको टूरिज्म के माध्यम से उनको रिजर्व प्राइस में ऑक्शन करें तो स्टेट को रेवेन्यू आ सकता है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसके लिए कल ही मेरे पास फाइल आई और मैंने लिख दिया है कि जब ईको टूरिज्म सोसायटी है तो मेरे पास भेजने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको अलॉट कीजिए और अन्य साइट्स का भी विज्ञापन दीजिए। मैं अधिकारियों को भी निर्देश दूंगा कि जो भी साइट्स विधायक देना चाहता है हम उनको प्रदेश हित में टैंट लगवा कर डवल्प कर सकते हैं। आजकल टैंट इतने अच्छे आए हुए हैं और एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसका वाराणासी में टैंट है, वह गुजरात का रहने वाला है तथा उसने कहा कि मैं इस ट्यूलिप गार्डन में टैंट लगा कर काम करना चाहता हूं। मैंने उसे भेज दिया और वह आज तक परेशान हो रहा है। अगर परेशानी आती रहेगी तो कोई टूरिज्म वाला यहां नहीं आएगा। हमें इसको थोड़ा लिबरल करने की जरूरत है। सभी माननीय सदस्यों की मंशा है कि अगर हम टूरिज्म को ईको टूरिज्म के माध्यम से ज्यादा बूस्ट करें तो काफी अच्छा रहेगा। आजकल एक नया कंसेप्ट हीलिंग टूरिज्म डवल्प हुआ है जो बॉडी को हील करता है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.09.2024/1620/RKS/एच के-1

मुख्य मंत्री... जारी

हमारे पास बहुत पार्टियां हैं जो हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में साइट्स लेना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ कानून/ नियम और कुछ नेता तथा अधिकारी अड़चन डालते हैं। हमें इन अड़चनों को दूर करने के लिए ठोस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम व्यवस्था परिवर्तन करके आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की ओर जा रहे हैं। अभी मेरे पास चार साइट्स की फाइल आई थी मैंने उस फाइल में लिखा है कि कंपिटेंट अथॉरिटी इन साइट्स को खुद ही अलौ कर सकती है। उन्हें मेरे पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीड़-बिलिंग की साइट एक करोड़ रुपये की है। बीड़-बिलिंग में एक बिल्डिंग ऐसी है जिससे आपने पैरा-ग्लाइडिंग के नाम पर 15-20 करोड़ रुपये कमा लिए। वह 20-25 कमरों की बिल्डिंग खाली पड़ी है। ए.डी.बी., वर्ल्ड बैंक व जाइका द्वारा बिल्डिंग बनाने का कंसैप्ट आ चुका है। मैं इस

कंसैप्ट को रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन व्यवस्था इतनी बिगड़ी है कि इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। जब मैंने जाइका की मीटिंग ली तो मैंने कहा कि आप बिल्डिंग बनाने का काम बंद कीजिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारा मिल्क प्रोसैसिंग युनिट लगा दीजिए। मेरा मानना है कि हमें टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से इस दिशा में अग्रेसिवली जाना चाहिए। हम पांच महीनों तक चुनावों में व्यस्त रहे और चार महीने हमारे आपदा में बीत गए। लेकिन हमने मेहनत करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। हम आगे भी मेहनत करेंगे। जो माननीय विधायकों ने सुझाव दिए हैं हम उन्हें अमलीजामा पहनाएंगे। मैं बोटलनैक के बारे में एक सब-कमेटी बनाउंगा ताकि बोटलनैक को दूर करके हम सभी साइट्स को वन गो में विज्ञापित कर दें। जो आना चाहता है वह रिजर्व प्राइस देकर काम शुरू करें। उन्हें किसी प्रकार की अड़चन न आए इस बात का ख्याल रखा जाएगा। जिस व्यक्ति ने सौ करोड़ रुपये का होटल बनाना है उसे दो दिन तक तो पटवारी ही अपने पास बिठा रखता है। जब उसका काम नहीं होता तो वह हाइ ब्लड प्रैशर हो जाता है। इसलिए हमें नियम बदलने की आवश्यकता है। हमें हिमाचल के हित में नियम बदलने पड़ेंगे। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है लेकिन जब नियम बदले जाते हैं तो यह सोचा जाता है कि इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हित होगा। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की तो उससे हमें 485 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। अगर हम ईको टूरिज्म पॉलिसी में नियम बदलेंगे तो इससे हमें साल में प्रत्यक्ष

05.09.2024/1620/RKS/एच के-2

रूप से 100 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होगी। जब ऐसा होगा तो हमें पीने के पानी की बोटल, खाने व होटल के कमरों से भी जी.एस.टी. मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता टूरिज्म, दूसरी हाइड्रो पावर, तीसरी फूड प्रोसैसिंग और चौथी एनवायरमेंटली फ्रेंडली इडस्ट्रीज को आगे लाने की है। श्री केवल सिंह पठानिया जी ने ईको टूरिज्म पर महत्वपूर्ण चर्चा लाई है। सभी सदस्यों ने इस चर्चा में अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। हम गोवा घूमने जाते हैं। मैंने उपायुक्त, बिलासपुर व ऊना को कहा कि आप भी गोवा की तरह यहां क्रूज चलाइए। मैंने

उन्हे निर्देश दिए कि नये साल में कार्निवल फेस्टिवल को रायपुर मैदान में मनाया जाए। हमारे पास 20-20, 100-100 किलोमीटर की वाटर बॉडिज हैं लेकिन हम इन जलाशयों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। वहां पर मोटर बोट्स चलनी शुरू हो गई है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

05.09.2024/1625/बी.एस./एच.के-1

मुख्य मंत्री जारी...

हम सर्दियों में गोवा जा रहे हैं, क्रूज की दिक्कत इसलिए थोड़ी रहेगी कि उस सयम धुंध का इश्यू रहता है और हमें सफलता नही मिलती। परंतु रायपुर और पौंग डैम के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम वहां पर पर्यटन में 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने जा रहे हैं। मैंने कल ही दिशा-निर्देश दिए हैं कि पौंग डेम में अब जो ए.डी.बी. है वह बिल्डिंग नहीं बनाएगी या तो होटल बना दो या कन्वेशन सेंटर बना दो। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी नए विचार आए हैं व्यवस्था परिवर्तन में सोच को भी बदलना पड़ेगा। हम सब को अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आपने कर्नाटक की स्टडी की बात की है उसे हमारी कमेटी करेगी और कमेटी के माध्यम से होगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी जब भी अगली कमेटी बनेगी तो मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर से भी कहूंगा कि ईको टूरिज्म के जो बोटलनेक्स हैं, आज मेरे पास बाहर का एक व्यक्ति आया उसने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश की सुन्दरता को देखते हुए यहां पर 7-8 सौ करोड़ रुपया टूरिज्म के क्षेत्र में खर्च करना चाहता हूं और वह हरिपुरधार और सिलाई के क्षेत्र को इसके लिए चुन रहा है। मैंने कहा कि आपका स्वागत है परंतु कहने लगे कि हमने तो 118 के बारे में सुना है और इस वजह से बहुत परेशन भी हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप अपना विषय लाइए, हम उसे व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। नेता लोग भी इसलिए घबराते हैं कि पता नहीं कि क्या बात है? हमें इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है हमारी नियत भी साफ है और नीति भी साफ है। हमारी अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच भी साफ है। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। नये डेस्टिनेशन डवलप होंगे और मेरा मानना

है कि हम इस दृष्टि से हमारे सदस्यों के सुझााव आए हैं और जब भी हमारी टूरिज्म पॉलिसी को रिलेक्स करने की बात होगी तो उस सभी सुझावों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेंगे। जो आपने कर्नाटक और केरल राज्यों की बात की, मैं दोनों राज्यों की टूरिज्म पॉलिसी के लिए अधिकारियों से कहूंगा कि आप उस दिशा में भी देंखे कि कौन सी पॉलिसी कैसी है? हम कानून के दायरे में रह कर जो भी नियम होंगे और जो ईको टूरिज्म पॉलिसी की गाइडलाइन्ज होंगी उनके अनुसार आगे बड़ेंगे। यही मैं कहना कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

05.09.2024/1625/बी.एस./एच.के-2

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी के विस्तृत उत्तर को मद्देनजर रखते हुए अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महादेय, मैं मुख्य मंत्री जी के विस्तृत उत्तर को मद्देनजर रखते हुए अपने संकल्प को वापिस लेता हूं।

तो क्या सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ

अब और भी विषय हैं, श्री विपिन सिंह परमार जी का भी विषय नियम-101 के अन्तर्गत लिस्टिड है। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री विपनि सिंह परमार : उपस्थित नहीं।

एक और विषय जो माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी का इस माननीय सदन में लगा है।

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय प्रजातन्त्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विषमताओं के निवारण बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"

श्री जती राम कटवाल : उपस्थित नहीं।

अब एक और विषय माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी का लगा है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"

श्री जीत राम कटवाल : उपस्थित नहीं।

अभी आधा घंटा माननीय सदन का बचा है, आपका भांग वाला विषय है जिसे डेफर किया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की इस पर क्या राय है?

05.09.2024/1625/बी.एस./एच.के-3

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो विषय आपने डेफर किया है, उससे संबंधित मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। हम चाहेंगे कि इस भांग वाले विषय पर चर्चा हो तो विपक्ष के माननीय सदस्य भी यहां पर हों और वे इस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। वे भी सदन में अपनी राय दें और इस बात का समर्थन करें। जब सभी लोग होंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन है कि इस विषय को कल लगा सकते हैं।

अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प को अगले दिन के लिए किया है, मंत्री जी के वहां कोई दुर्घट्ना हुई है। उस संदर्भ में वे आई.जी.एम.सी. गए हैं। पुह में कोई गाड़ी गिर गई थी। कृपया, आप इसे कल की बैठक में लगा लें।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

05.09.2024/1630/DT/YK-1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद सुल्तानपुरी जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

व्यवस्था का प्रश्न

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, कल नियम-130 में जो माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने प्रस्ताव रखा था, उसके बाद मैंने खलोगड़ा और सबाथु सोसाईटी के बारे में अनुरोध किया था। उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉल्स मैसेज आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वारी होनी चाहिए। जो पिछली सरकार के समय इसमें इंवॉल्व रहे हैं। क्योंकि यह बहुत बड़ा घपला है लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये तक का है। ये चार-पांच लोग एक ही परिवार के आपस में ही शफल करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं आपसे संज्ञान लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

Speaker : This House has taken a cognizance of your concern, the Hon'ble Chief Minister will take further steps in this behalf. माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी।

05.09.2024/1630/DT/YK-2

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह हमारी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर डालना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में एक यही अथॉरिटी है। जो बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में हमारे दो विधान सभा क्षेत्र दून और नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारा जो बी0बी0एन0 एरिया है, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के ऊपर मैं यह कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का यह फाइनेंशियल कैपिटल है और लगभग 100 करोड़ रुपये का दिन का जी0एस0टी0 हमें आता है जिसमें आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा हिस्सा प्रदेश सरकार को आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि हमारे वहां लगभग 3000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज हैं। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट अथॉरिटी का जो मैंडेट था वह इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप

करने के लिए अथॉरिटी को बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकार के समय में इसका बजट 10 करोड़ रुपये से वह 30 करोड़ रुपये तक गया। मुझे याद है कि वर्ष 2017 में अंतिम समय में यह 75 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 5 साल में सिर्फ 20 करोड़ रुपये बी0बी0एन0 के माध्यम से हमारे क्षेत्र में लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र की 29 पंचायतें और नगर परिषद् नालागढ़ इसके अधीन है। दून विधान सभा क्षेत्र की 17 पंचायतें और बद्दी म्यूनिसिपल कमेटी भी इसके अधीन है। वहां पर बहुत से डवलपमेंट के कार्य चले हैं, चाहें वे सड़कें बनाने की बात हो या इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो हमें इसके लिए कार्य करना होगा। वहां म्यूनिसिपल कमेटी , रूरल एरिया और इंडस्ट्री को वैल सैट अप करने का कार्य इंडस्ट्री पैकेज आने से पहले नहीं हो पाया था। जिस कारण वहां क्योस पैदा हो गया था। हमारे क्षेत्र को डवलप करने के लिए जहां रोड्स, ब्रिजीज, पार्कस और गौशालाओं को विकसित किया गया है। इसके साथ-साथ पीने के पानी की स्कीमें, सोलर लाइट्स यह कई ऐसे काम है जो बद्दी-

05.09.2024/1630/DT/YK-3

बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी से गुजारिश है कि जो हमारा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट अथॉरिटी का बजट है, इसे दोबारा रिव्यू करिए और इसे बढ़ाइए ताकि हम लोग दोबारा वहां पर विकास कर सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker : This House has taken a cognizance of this issue also Hon'ble Chief Minister or the Hon'ble Industries Minister and the any of the Administrative Secretary will take a cognizance of this aspect also. अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05-09-2024/1635/वाई.के.-एन.जी/1

अध्यक्ष के पश्चात.....

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न संख्या - 2067 लगाया था। बिजली विभाग में RDSS योजना के माध्यम से लगभग 4114 करोड़ रुपये का टेण्डर हुआ था। इसमें पोल, 33 के0वी0 के स्टेशन आदि लगाये जाने हैं। इन सबके बारे में मैं जानना चाह रहा था। मैंने उत्तर में देखा है कि खासकर एल-1 के टेण्डर (नम्बर-1, नम्बर-2, नम्बर-3 और नम्बर-4) आदानी को दिए गए हैं। यह पूर्व सरकार के समय में लगभग 4114 करोड़ रुपये के टेण्डर हुए थे। हम सभी जानते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्रों में जब हम एक्स.ई.एन. या एस.ई. बिजली विभाग को फोन करते हैं तो वे कभी कहते हैं कि इंवर्टर नहीं है और कभी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि RDSS योजना का पैसा कब तक ग्राऊंड में पहुंच जाएगा? इसमें GSC (General Service Connection)का भी मेन काम है और इसमें कांगड़ा, चम्बा व हमीरपुर को छोड़ कर बाकी जिलों का पैसा जारी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांगड़ा व हमीरपुर का पैसा कब तक जारी हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने प्रश्न किया था कि क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में कितने लोग शामिल हैं? यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसका जो जवाब आया मैं वो बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो विषयों को मिक्स मत कीजिए।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो ही इश्यू थे। एक तो GSC (General Service Connection) और दूसरा क्रिप्टोकरेंसी का था। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में ये दोनों विषय लाना चाहता था।

05-09-2024/1635/वाई.के.-एन.जी/2

Speaker : This House has taken a cognizance of this issue and the concerned Hon'ble Minister may also take a note of it. ...(व्यवधान) Hon'ble CPS, you are a part of the Government. सी.पी.एस. ऐसे इश्यू को सरकार के विरूद्ध रेज़ नहीं कर सकते हैं।.

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2024 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला : 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 05 सितम्बर, 2024 **सचिव।**